रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1973 (भाद्र 31, 1895)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1973 (BHADRA 31, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 12 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 12th February 1973 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—

-Nil--

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller with in ten days of issue of these Gazettes.

241 GI/73

विषय-सूची

पृष्ठ nvs

«TIT I—tf* 1—{Km «f«im TtwtT«T) . . 813

arnnwr am ^rrtt *t i^ trwO arwtf ^t Pr'jPra'ft, T^tsftnft, . 1463

rm I—tft 3—vsn imi^T gTT srrft ^t aft tfvwf ?t snatfarcr arfa^Jrnt . —

HPT I—^s 4—^WT *i«wi {[RT ^rrft ^t . . 1055

UTT 11-^^^ 1—STftfTTTj BTWT^T aflT . . . —

«m II—«re 2—ftra»ro sft^: fi^rwt ntrft . —

HH II—«r»3—^r?nr(i)—(WT^T^TIT «t wlfd^;) %^ifw srifwRt ffrrr anxt 3»T^ fair *qr ?mnni f;pm (f^rqt anft BffcTfaT f I) . • . 1825

m*r II—we a—^wfi (ii)--(wj n^r- 3i vpwfa T^IT sfr^: srifi fa^ ntr . . . 3105

293

«IHT HI—^ 1—*V*m TTTWV, e«T «fh»- afk wroi trwiT: ^r BrtftT <mi ^T«T vmf«wf ST^T srrft ^St it stfir^p^rn? . 3561

mi in—ti* 2—tj^w vrif^ni, xmvm 489

VTJJ in—v* 3—^«q arpTfiff JPI ^rr ^rti snftren: fc irft ^ «rf arftr^n^ 43

*nT in—i$lt 4—WOT f^fJiift SRT^T^ jpt it ftfTu 3rfa^-frtT r^i^ arfij- g^nt anwr, f^jrpnr aft^ itftg frrfasr f . . . 1753

mi IV—»k-w^?rKt wrfiRptf af^: 'tt- 175

TW HWT 38—

15 ftTd*3R, 1973 ^^TOl^g^^^TOT^ . 1197

25 aPHKr 1973^ 9TF3 ^ *T^ fT^TT? %^TH TTTsr $ 30,000 ^r^ ^?ra arfOT 3TPTRt % wifiii ^ 3f?»T 'mr T^ 1205

CONTENTS

	PAQE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Retolutiona issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	S13
PART T—SECTION 2.—Notifications re^ardinc Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued bv the Mlnistrie« of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1463
PA*T I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution!! issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointment*, Promotions, Leave etc, of Officers issued by the Ministry of Defence.	1055
PA»T II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Reguladoiu	—
PAET II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PAKT II—SECTION 3.—SUB.SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the A4mjr4stratlpns of Union Terr{tone» ..	1825

	PAQB
PART II.—SECTION 3.—SUB.SBC. (ii)—Statutory Order* and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Teniiorie») ..	3105
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Order* notified by the Ministry of Defence ..	293
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	3561
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices. Calcutta ..	489
PART IIJ—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	43
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1753
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	175
SUPPLEMENT NO. 38	
Weekly Epidemiologica.1 Reports for week ending 15th September 1973, ...	H97
Births and Deaths from Principal disewei in towns with a population of 30.000 and over in India duririK week ending 25ft August 1973.	Iiu5

भाग 1—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) **and by** the **Supreme** Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1973

सं० 44 -प्रेज/73 —राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा अथवा साहस के कार्यों के लिये नौसेना मैडल प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. कमांडर तेज कृष्ण सचदेव (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

बंगलादेश में सुरंग साफ करने की संक्रियाओं के दौरान कमांडर तेज कृष्ण सचदेव सुरंग हटाने वाले स्क्वाड्रन के वरिष्ठ अधिकारी थे । पाकिस्तान की नौसेना ने किसी भी आक्रमण के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय के रूप में बंगला देश के तटीय क्षेत्रों और विभिन्न बन्दरगाहों के आस-पास सुरंगें बिछा दी थीं । संघर्ष के उपरान्त इन सुरंगों को हटाया जाना आवश्यक था, क्योंकि इन बंदरगाहों में कोई भी जहाज सुरंग फट जाने से नष्ट होने का खतरा उठाये बिना प्रवेश नहीं कर सकता था । कमांडर सचदेव को इन सजीव सुरंगों के साफ करने की योजना बनाने तथा उसे अत्यधिक शीघ्रता से कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया था । नौसेना के इतिहास में यह सर्वप्रथम अवसर था, जब भारतीय नौसेना के पोत सुरंगों को साफ करने के कार्य पर लगाए गये । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये विस्तृत योजना आवश्यक सामान और हिस्से पुर्जों के संग्रह और कार्मिकों को व्यापक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता थी । उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विशेष सावधानी और निपुणता से इन संक्रियाओं को पूरा करने के लिये योजना बनाई और बिना किसी दुर्घटना के अति अल्पकाल में ही चटगांव से परे सुरंग क्षेत्रों में 20 मील लम्बे और एक मील चौड़े जल मार्ग की स्थापना की ।

अद्योपान्त कमांडर तेज कृष्ण सचदेव ने साहस नेतृत्व, और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

2. लेफ्टिनेन्ट कमांडर भूपेन्द्र सिंह अचरेजा (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट कमांडर भूपेन्द्र सिंह अचरेजा को जुलाई 1958 में कमीशन मिला और उन्होंने मई 1959 में पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त की । भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन के लिये चुने जाने पर जुलाई 1961 में बरतानिया में विमानवाहक पर कार्यरत हुए । भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन के अपने सर्वप्रथम कार्यकाल में उन्होंने 300 घण्टे से ज्यादा उड़ानें भरीं तथा 125 डेक-अवतरण किये । वे अग्रपंक्ति लड़ाकू स्क्वाड्रन में तीन कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं और इस अवधि में उन्होंने सी-हाक्स में 650 घंटे से अधिक उड़ानें पूरी कर ली हैं । तथा बिना किसी दुर्घटना के विमान-वाहक पर दिन-रात में 260 डेक-अवतरण किए हैं । इस स्क्वाड्रन में अपने अन्तिम कार्यकाल के दौरान वे भारतीय वायु स्क्वाड्रन के वरिष्ठ पायलट थे । मार्च 1965 में विमान वाहक से उड़ान भरते समय उन्होंने सी-हाक पर आपत्कालीन नाका रोधिका अवतरण किये । केवल मात्र वे ही ऐसे एक विमान चालक हैं, जो वायुयान को लेशमात्र भी क्षति पहुंचाए बिना पोत पर आपत्कालीन रोधिका अवतरण करने में सफल हुए । वे उस हवाई करतब दल के सदस्य थे, जिसने 1971 में आमन्त्रित अतिथियों के लिये आयोजित विभिन्न अभ्यासों और प्रदर्शनी के दौरान सराहनीय कार्य किया ।

अद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कमांडर भूपेन्द्र सिंह अचरेजा ने साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया ।

3. लेफ्टिनेन्ट कमांडर शैलेश रंजन देव गुप्ता (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट कमांडर शैलेश रंजन देव गुप्ता उस हेलीकाप्टर के कप्तान थे जिसे 18 दिसम्बर 1971 को मदुराई के निकट बाढ़ग्रस्त नागरिकों को बचाने के कार्य करने के लिये भेजा गया था । मौके पर पहुंच कर उन्होंने देखा कि सारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है और बचे हुए लोग वृक्षों, टेलीफोन के खम्भों तथा अन्य तैरती हुई वस्तुओं पर बैठे हुए हैं । किसी भी स्थल पर हैलीकाप्टर का उतारना संभव न था । बचे हुए लोगों को बचाने का केवल एक ही तरीका था कि उन्हें चर्खी द्वारा ऊपर खींचा जाए और यह तरीका जोखिम पूर्ण था । ये बचे हुए लोग मानसिक आघात से ग्रस्त थे जिसके कारण यह समस्या अधिक जटिल हो गयी थी । बाढ़ पीड़ितों को बचाने का कार्य इतना संकटपूर्ण और जोखिम भरा था कि उन्हें बचाने के कार्य में इसी क्षेत्र में कार्य करने वाला एक असैनिक हेलीकाप्टर पहले ही नष्ट हो गया था । इन विकट संकटों के बावजूद उन्होंने संक्रिया आरम्भ कर दी और अपने हेलीकाप्टर से एक सदस्य को रस्सी से नीचे लटकाया जिसने बचे हुए लोगों के बचाव पट्टी (स्ट्रेप) तक पहुंचने में सहायता की । इस प्रकार वे एक बच्चे सहित 18 बचे हुए लोगों को बचाने में सफल हुए ।

इस तरह लेफ्टिनेन्ट कमांडर शैलेश रंजन देव गुप्ता ने अपने व्यावसायिक कौशल, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

4. लेफ्टिनेन्ट कमांडर जय गोपाल (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेंन्ट कमांडर जय गोपाल नौसेना के सर्व प्रथम प्रेक्षक थे। जिन्हें भारतीय वायु सेना में मार्ग निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुना गया था। मार्ग निर्देशन का प्रशिक्षण समाप्त करने पर उन्हें भारतीय नौसेना के वायु स्क्वाड्रन के लिये फ्रांस भेजने के लिये चुना गया। वे अग्र-पंक्ति स्क्वाड्रन में भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन के वरिष्ठ प्रेक्षक के रूप में पूरा किये गये कार्यकाल, सहित, 4 कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं। इस स्क्वाड्रन में अपने 6 वर्ष के सेवा काल में उन्होंने एलाइज वायुयान पर 1500 घन्टे से अधिक उड़ाने भरीं। नवम्बर 1968 से सितम्बर 1970 तक की अवधि में उन्होंने एलाइज वायुयान पर कुल 543. 10 घंटों की उड़ानें की। विमान-वाहक और तट वायु स्टेशन पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सराहनीय सेवा की है। वे पहले प्रेक्षक थे, जिन्होंने परीक्षा पास करके ऐरोनाटिकल सोसाइटी आफ इंडिया की ऐसोसियेटिड मेम्बरशिप की अर्हता प्राप्त की। इस स्क्वाड्रन में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने गोवा तथा 1965 की संक्रियाओं में भी भाग लिया। नौसेना विमानन में उनका विशेष योगदान है।

अद्योपान्त लेफ्टिनेंन्ट कमांडर जय गोपाल ने व्यावसायिक कौशल, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

5. लेफ्टिनेन्ट कमांडर दिलीप चौधरी (एक्स)
भारतीय नौसेना।

लेफ्टिनेन्ट कमांडर दिलीप चौधरी को जुलाई 1958 में कमीशन मिला और उन्होंने 1962 के प्रारंभ में फ्लीट एयर आर्म में प्रेक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त की। वे आज नौसेना के अत्यधिक अनुभवी प्रेक्षकों में से हैं। तथा इस समय भारतीय नौसेना के वायु स्क्वाड्रन में वरिष्ट प्रेक्षक के पद पर आसीन हैं। वे वायु स्क्वाड्रन के प्रेक्षक के रूप में और एक बड़े पोत में स्क्वाड्रन संचार अफसर के रूप में बखूबी सेवारत हैं। 1965 की संक्रियाओं के दौरान, वे उन वायुयानों की उड़ान के डिटेचमेंन्ट कमांडर रहे जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु के रडार के स्टेशनों का पता लगाने का उपयोगी काम किया। उन्होंने अपने कार्मिक के साथ सितम्बर 1965 में 15 दिन की अवधि में समग्र पश्चिमी सीमा के साथ-साथ 60 घंटे से अधिक उड़ानें कीं। ये सारी उड़ानें दिन दहाड़े घमासान युद्ध के दौरान और कई बार उड़ानें लड़ाकू अनुरक्षी वायुयान की सहायता बिना ही की गई थीं। 1971 की संक्रियाओं के दौरान भी, उन्होंने भारतीय नौसेना के वायु स्क्वाड्रन के वरिष्ठ प्रेक्षक के रूप में समस्त कार्य असाधारण कर्तव्यनिष्ठा से पूरा किया। लगभग तीन मास तक यह स्क्वाड्रन अपने मूल स्टेशन से दूर सैनिक कार्यवाही में संलग्न रहा और बम्बई के बन्दरगाहों के जाने के रास्तों की निरन्तर चौकसी करता रहा। इस काम को पूरा करने के लिये कठिन परिस्थितियों में चौबीस घन्टे लम्बी और थका देने वाली उड़ानें करना आवश्यक था। इस श्रमसाध्य कार्य में जुटे रहने के बावजूद उन्होंने अथक परिश्रम किया और अपने स्क्वाड्रन कमांडर की यथा आदेश विभिन्न संक्रियात्मक कार्यों की योजना बनाने में सहायता की।

अद्योपरान्त लेफ्टिनेन्ट कमांडर दिलीप चौधरी ने साहस नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

6. लेफ्टिनेन्ट कमाँडर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा (एक्स)
भारतीय नौसेना।

लेफ्टिनेन्ट कमाँडर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा को जुलाई 1960 में कमीशन मिला और उन्होंने दिसम्बर 1961 में पायलट के रूप में अर्हता प्राप्त की। वे आज नौसेना के अत्यंत अनुभवी पायलटों में से हैं और वर्तमान समय में भारतीय वायु सेना के वायु स्क्वाड्रन जो कि अग्र-पंक्ति लड़ाकू स्क्वाड्रन है, की कमान कर रहे हैं। अग्र-पंक्ति स्क्वाड्रन के अपने सर्वप्रथम कार्यकाल में उन्होंने दिन-रात में सी-हाक पर 350 घन्टे से अधिक उड़ानें और 150 से अधिक डेक-अवतरण पूरे कर लिये हैं। और दिन रात में वे अब तक लगभग 1500 उड़ान घन्टे पूरे कर चुके हैं और 200 से अधिक डेक-अवतरण पूरे कर चुके हैं। उन्होंने वायु युद्ध पद्धति अनुदेशक के रूप में अर्हता भी प्राप्त कर ली है। इस पद पर रहते हुए प्रशिक्षण स्क्वाड्रन और अग्र-पंक्ति स्क्वाड्रन में उनका कार्य बड़ा श्लाघनीय है। उन्हें 1965 और 1971 की दोनों संक्रियाओं के दौरान अग्र-पंक्ति वायु स्क्वाड्रन में सेवा करने का अपूर्व गौरव प्राप्त है। 1971 की संक्रिया के दौरान उनकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिये उनका वीरता के लिये नामोल्लेख किया गया। उन्होंने जनवरी 1971 में नौसेनाध्यक्ष से भी संस्तुति अर्जित की। उन्हें स्क्वाड्रन के हवाई करतब दल का सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है।

अद्योपान्त लेफ्टिनेंन्ट कमांडर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

7. लेफ्टिनेन्ट बंसी लाल शर्मा (एक्स)
भारतीय नौसेना।

बंगलादेश में सुरंग साफ करने वाले स्क्वाड्रन के एक पोत की नियुक्ति की गई तो उस पर लेफ्टिनेंन्ट बंसी लाल शर्मा भारतीय नौसेना सुरंग साफ करने वाले, टारपीडो स्क्वाड्रन तथा पन्डुब्बी-रोधी द्वितीय अफसर थे। उन्हें पुसूर नदी में और चटगांव के निकट बिछी हुई संजीव सुरंगों को साफ करने के लिये संक्रियाओं की योजना बनाने, सुरंग मार्जन उपस्कर का पोतारोहण करने और सुरंग-मार्जन कर्मीदल का संचालन करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। यह कार्य उन्होंने अत्यधिक सावधानी और दूरदर्शिता से समपन्न किया। इन सारी संक्रियाओं के दौरान कार्मीदल का मनोबल उच्चकोटि का था तथा उनके प्रेरक नेतृत्व में उस कार्मीदल का सुव्यवस्थित लड़ाकू इकाई के रूप में भली प्रकार से गठन किया गया। फरवरी 1972 में अपने कमान अफसर के अचानक बीमार हो जाने पर उन्होंने कमान संभाली और सुरंगों से पटे समुद्र में से अपने स्क्वाड्रन के अन्य पोतों को, मछली पकड़ने के लिये लगाए गये खूंटों, पोतावशेषों और पाल मछली पकड़ने वाली नौकाओं से पटे समुद्र के बीच से चटगांव के पास सुरंग मार्जन संक्रियाओं के लिये आगे बढ़ाया। इस अवधि के दौरान उन्हें सर्वप्रथम सजीव सुरंग का पता लगा और उन्होंने उसे सफलता पूर्वक नष्ट कर दिया। भारतीय व्यापारी जहाज विश्व कुसुम के, जिसको चटगांव के तटवर्ती समुद्र में विस्फोट के बाद छोड़ दिया गया था, कैप्टन सहित 34 बचे हुए लोगों को बचाने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त है।

अद्योपान्त लेफ्टिनेंन्ट बंसीलाल शर्मा ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

8. लेफ्टिनेन्ट अजीत तिवारी (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

लेफ्टिनेन्ट अजीत तिवारी भारतीय नौसेना के सुरंग साफ करने वाले पोतों में से एक पोत के कमांडिंग अफसर थे जिन्हें जनवरी 1972 में बंगलादेश में सुरंगें साफ करने के कार्य पर लगाया गया था। पाकिस्तान की नौसेना ने संघर्ष के दौरान किसी आक्रमण के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय के तौर पर बंगलादेश के तटीय क्षेत्र में और विभिन्न बन्दरगाहों के रास्तों पर सुरंगें बिछा दी थीं। संघर्ष की समाप्ति पर, इन सुरंगों के साफ करने का कार्य सर्वोपरि महत्व बन गया था, क्योंकि ऐसा किये बिना कोई भी जहाज विस्फोट का खतरा उठाए बगैर इन बन्दरगाहों में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसका बंगलादेश के समुद्री व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। उन्हें पुसूर नदी के प्रवेश मार्ग में बिछी हुई ग्राउंड सुरंगों को साफ करने का कार्य सौंपा गया था। इस मार्ग में सुरंगों के साफ करने का बड़ा महत्व था, क्योंकि इसके बिना मंगला और खुलना बन्दरगाहों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। उन्होंने इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया, जिसके लिये उनके पोत को खतरनाक सुरंगें बिछे समुद्र में जाना पड़ा। उथले सागर से, उग्र ज्वार भाटे की परिस्थितियों, दृश्यता की कमी और रात के समय सुरंग साफ करने से इस संकट में काफी वृद्धि हुई ।

अद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट अजीत तिवारी ने साहस, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

9. सब-लेफ्टिनेन्ट अनूप कुमार महरोत्रा (एक्स)
भारतीय नौसेना ।

सब-लेफ्टिनेन्ट अनूप कुमार महरोत्रा भारतीय नौसेना के उन पोतों में से एक पर सेवारत थे, जिसने अप्रैल 1972 में अंडेमान के उत्तर में स्थित ग्रेट कोको द्वीप के स्थान पर भारतीय जहाजरानी निगम के भूग्रस्त पोतों को उबारने का कार्य किया। इन्हें उबारने की संक्रिया के दौरान उन्हें विभिन्न जहाजरानी क्रमविकाशों का कार्यभार सौंपा गया था। इन कार्यों में दिन रात छाती तक गहरे पानी में से गुजरना, भग्न पोतारोहण समुद्र की सतह पर तार बिछाने के कार्य में अपने दल का पथ-प्रदर्शन 45 गैलन के ड्रमों के सहारे तारों को तैराते रखने तथा नौका में ऊपर बतलाए गए कार्य के लिये कई-कई घंटे गुजारना सम्मिलित थे। उन्होंने उक्त कार्य को बड़े प्रशंसनीय ढंग से सम्पन्न किया। उनकी कर्तव्यनिष्ठा तथा तत्परता उनके दल के सदस्यों के लिये प्रेरणा का स्रोत थी। उनमें व्यवहारिक जहाजरानी के प्रति अभिरुचि तथा पहल शक्ति उत्कृष्ट कोटि की थी ।

इस उबारने की संक्रिया के दौरान सब-लेफ्टिनेन्ट अनूप कुमार महरोत्रा ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

10. गणपत सिंह, मास्टर चीफ पेटी अफसर, द्वितीय श्रेणी
(गोताखोर प्रथम श्रेणी) सं० 43177 ।

24 मार्च 1972 को नौसेना के गोताखोरों को बम्बई में बर्माशैल रिफाइनरी लिमिटेड की जलस्थ संस्थापनाओं की रुकावटों को हटाने का कार्य सौंपा गया था। यह काम दो दिन में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इन गोताखोरी के सम्पूर्ण संक्रिया के दौरान मास्टर चीफ पेटी अफसर गणपत सिंह ने लम्बी अवधि तक प्रतिकूल परिस्थितियों में पानी के भीतर रह कर कार्य किया और गाइडों तथा सिल और अन्य दरवाजों की खुलने वाली सतह से कड़ियों (बारनेक्लस) और दूसरे समुद्री झाड़ झंकाड़ को हटाया। पानी में कुछ न दिखाई पड़ने की स्थिति में भी गाइडों में लोहे के भारी अन्य दरवाजों को गाइड करने में अद्भुद कौशल का प्रदर्शन किया। इसके तुरन्त बाद, उन्होंने भावनगर में 2 अप्रैल 1972 से 10 अप्रैल 1972 तक गोताखोर संक्रियाओं में भाग लिया। इस क्षेत्र में तेज और विकराल जलधाराओं के नीचे गोतामारी का कार्य चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा था। एक बार पुनः, उन्होंने अवसर के अनुसार कार्य किया और भारी निजी जोखिम उठा कर बार-बार गोते लगाए। गोताखोरी में उनके संकल्प और कौशल से उनके सहयोगी गोताखोर को बड़ा प्रोत्साहन मिला जो कि उनकी सहायता कर रहा था। पानी के भीतर कार्य करने में उन्होंने जो साहस व निपुणता दिखाई वह सराहनीय चमत्कार था, जिसे कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।

अद्योपान्त मस्टर चीफ पेटी अफसर गणपत सिंह ने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

11. जिबानन्द थपलियाल, पेटी अफसर
(गोताखोर द्वितीय श्रेणी) सं० 46993 ।

अप्रैल 1972 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुरोध पर एक नौसेना गोताखोर दल को गोताखोरी के लिये भावनगर भेजा गया था। 2 अप्रैल 1972 से 10 अप्रैल 1972 तक गोताखोरी के दौरान जिबानन्द थपलियाल, पेटी अफसर, दल के सदस्य थे। गोताखोरी के स्थान पर तेज ज्वार भाटे, जोखिमभरी अंर्तजलीय धाराओं तथा जल के भीतर शून्य-दृश्यता की स्थिति ने गोताखोरी को संकटमय बना दिया था। इन अड़चनों के बावजूद, उन्होंने स्वेच्छापूर्वक स्वयं भारी जोखिम उठाते हुए गोता लगाने के कार्य को अपने जिम्मे लिया। वह दीर्घकाल तक जल में रहे और अपने साथी गोताखोर को अमूल्य सहायता एवं नैतिक बल प्रदान किया। एक सप्ताह की गोताखोरी की संक्रियाओं के दौरान, लम्बे समय तक पानी के भीतर ठहर कर गोता लगाने के प्रयासों में समय और श्रम की बचत की, क्योंकि नये गोताखोरों को जल में अभ्यास के लिए काफी समय लग जाता है। उन्होंने अति उग्र ज्वार भाटे की धाराओं में तथा शून्य-दृश्यता की परिस्थितियों में पानी में बोझिल ऐनोडों को उठाये रखने में अत्यधिक धैर्य एवं दक्षता दिखाई ।

अद्योपान्त पेटी अफसर जिबानन्द थपलियाल ने साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

12. मोहनदास पेरीनचेरी, लीडिंग एयर हैन्डलर (एयर क्रू गोताखोर) सं० 89175 भारतीय नौसेना ।

मोहनदास पेरीनचेरी एक हैलीकाप्टर पर विंच आपरेटर थे, जिसको तमिलनाडु सरकार के अनुरोध पर 18 दिसम्बर 1971 को मदुराई के निकट वेगल नदी में आई बाढ़ में घिरे नागरिकों के बचाव के काम पर लगाया गया था। बचे हुए लोग वृक्षों, तार के खम्भों एवं अन्य तैरती हुई वस्तुओं पर बैठे हुए थे। आघात तथा थकान के कारण उनका मानसिक और शारीरिक बल क्षीण हो गया था। बचे हुए लोगों को बचाने का केवल एक ही तरीका था था कि उन्हें चर्खी द्वारा ऊपर खींचा जाय। इस संक्रिया के लिए

उच्चतम स्तर की मानसिक एकाग्रता एवं दक्षता अपेक्षित थी। उन्हें बचे हुए लोगों को केवल चर्खी द्वारा ऊपर ही नहीं उठाना था, बल्कि सही स्थल पर परिभ्रमण करने के लिए हैलिकाप्टर चालक का मार्ग दर्शन करने और उसे निकटवर्ती बाधाओं के बारे में चेतावनी देने का कार्य सौंपा गया था। सीमित ईंधन के कारण चर्खी द्वारा ऊपर खींचने की संक्रियाओं में अत्यधिक तत्परता एवं शीघ्रता की आवश्यकता थी। उन्होंने ऊपर खींचने का कार्य बड़ी दक्षता, कर्त्तव्यनिष्ठा तथा असाधारण एकाग्रता के साथ पूरा किया तथा इस प्रकार 18 बचे हुए लोगों को बचाया, जिनमें एक छोटा बालक भी था।

आद्योपान्त मोहनदास पेरीनचेरी, लीडिंग एयर-हैन्डलर ने साहस एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

13. धर्म प्रकाश, नाविक प्रथम श्रेणी,
यू० डब्ल्यू० 3 (पोत गोताखोर) सं० 91956।

पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्म-समर्पण करने से पूर्व कर्णफुली नदी में प्रचुर मात्रा में नोट और सिक्के तथा अन्य अमूल्य वस्तुएं फैंकी थीं। 3 जुलाई 1972 को, बंगलादेश के बैंक के अनुरोध पर सिक्कों तथा अन्य कीमती वस्तुओं की पुनराप्ति के लिए भारतीय नौसेना गोताखोरों ने चटगांव के स्थान पर गोताखोर संक्रियाओं का कार्य संभाला। धर्म प्रकाश, नाविक प्रथम श्रेणी ने सात दिन तक गोताखोर संक्रियाओं में भाग लिया। कर्णफुली नदी छः नाटों की औसत गति पर बहती है। इसलिये गोताखोर संक्रियाओं का संचालन केवल भाटे के समय किया जा सका, जबकि जलप्रवाह धीमी गति से था। परन्तु भाटा बहुत थोड़ी अवधि के लिए होता था तथा उन गोताखोरों को अधिकतम कार्य के लिए बड़ी तेजी से कार्य करना पड़ा। आठ महीने गुजर चुके थे, जबकि सिक्कों तथा अन्य कीमती पदार्थों को नदी में फैंका गया था तथा ये गाद में बहुत नीचे दब गये थे। इन विपरीत परिस्थितियों की परवाह न करते हुए यह नाविक दृढ़ निश्चय तथा उच्चतम कर्त्तव्य-भावना से प्रेरित होकर इस काम में जुट गया। बहुत से मौकों पर, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए, नाविक ने पुनराप्ति संक्रियाओं को सफल बनाने हेतु गोते लगाये। इन संक्रियाओं के दौरान बड़ी मात्रा में सोने और चान्दी के आभूषणों तथा कुछ वस्त्रों एवं गोलाबारूद के अलावा, उन्होंने 46,517 पाकिस्तानी रुपयों के मूल्य के सिक्के भी पुनः प्राप्त किए। इनकी पुनराप्ति में धर्म प्रकाश बहुत सहायक सिद्ध हुए।

आद्योपान्त धर्म प्रकाश, नाविक प्रथम श्रेणी, ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

14. रामचन्द्र अथीरमन, इंजन कक्ष परिशिल्पी, तृतीय श्रेणी, सं० 52576, भारतीय नौसेना।

रामचन्द्र अथीरमन, इंजन कक्ष परिशिल्पी, भारतीय नौसेना के सुरंग साफ करने वाले पोतों में से एक पर, जिन्हें बंगलादेश में सुरंगे साफ करने पर लगाया गया था, सेवारत थे। यह पोत की उच्च संक्रियात्मक तत्परता बनाये रखने के लिये उत्तरदायी थे। उन्हें इस बात का श्रेय है कि तटवर्ती सुरंग साफ करने वाला एक छोटा पोत बम्बई से बंगलादेश तक 2500 मील का फासला तय कर सका, हालांकि इस से पहले जहाज के इंजनों को पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान अत्यधिक चलाया गया था। सुरंग साफ करने की संक्रियाओं के दौरान, अपने आराम की परवाह न करते हुए, सीमित साधनों का प्रयोग करके एवं इंजन की त्रुटियों का परिशोधन करते हुए उन्होंने निरन्तर कार्य किया। जब पोत पुसूर नदी में सुरंग साफ करने के कार्य में लगा हुआ था तो इसके पल्स जेनरेटर में कुछ खराबी हो गई। परिशिल्पी अथीरमन अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए जेनरेटर कक्ष में नीचे गए जबकि पोत सुरंग-क्षेत्र में था, उन्होंने इसकी त्रुटियों को दूर किया तथा पोत को सफलता पूर्वक अपना कार्य सम्पन्न करने के योग्य बनाया। जब पोत बन्दर-गाह की ओर वापिस लौट रहा था तो एक डीजल-जेनरेटर में आग लग गई जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। मुख्य इंजनों तथा इंधन-टंकी की ओर आग फैलने की संभावना हो गई। जेनरेटर की ईंधन-सप्लाई को काटकर ही आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था। परिशिल्पी अथीरमन पोत के खतरे को समझते हुए, इंजन-कक्ष में घुस गए तथा ईंधन की सप्लाई को बन्द कर दिया। इस कार्य के दौरान वह अचेत होकर गिर पड़े और उन्हें बाहर निकाला गया तथा उन्हें कृत्रिम सांस दिया गया।

आद्योपान्त रामचन्द्र अथीरमन, इंजन कक्ष परिशिल्पी ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

सं० 45-प्रेज/73—राष्ट्रपति निम्नांकित को नौसेना मैडल का बार प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

कमांडर अमरीक सिंह (एक्स) एन० एम०, वी० एस० एम०, भारतीय नौसेना।

कमांडर अमरीक सिंह उस भारतीय नौसेना पोत के कमांडिंग अफसर थे, जिसने अप्रैल 1972 में अंडमान द्वीपों के उत्तर में ग्रेट कोको द्वीप के निकट भारत के जहाजरानी निगम के भूग्रस्त तीन जलयानों को उबारने का कार्य किया था। जब वह अंडमान द्वीपों की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें उन पोतों को उबारने का आदेश मिला। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे पोत खराब मौसम के कारण उत्पन्न प्रचण्ड लहरों के थपेड़ों से समुद्र तल की चट्टानों से टकरा कर बुरी तरह क्षति-ग्रस्त हो चुके थे। पोत चट्टानों में बुरी तरह फंस गये थे, जिसके कारण उनको उबारना और भी दुष्कर हो गया था। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कमांडर अमरीक सिंह ने न केवल इन पोतों के उबारने तथा खींचने वाले गियर को जोड़ने के व्यवस्था की, बल्कि अपने जहाज का घिरे जलक्षेत्र में सुरक्षित नौचालन सुनिश्चित किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के प्रति अत्यन्त व्यवहार कुशलता का भी प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने इनके पोत को हर संभव सहायता प्रदान की।

इस संक्रिया में कमांडर अमरीक सिंह ने साहस, नेतृत्व एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

अशोक मिल, राष्ट्रपति के सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1973

सं० 46-प्रेज/73—राष्ट्रपति सहर्ष यह निदेश देते हैं कि दिनांक 17 जनवरी, 1973 की अधिसूचना सं० 2-प्रेज/73 एवं

3-प्रेज/73 के अन्तर्गत दिनांक 27 जनवरी, 1973 के भारतीय राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित पूर्वी स्टार एवं पश्चिमी स्टार मैडल सम्बन्धी संविधि में निम्नलिखित संशोधन किया जाय, अर्थात् :—

1. पृष्ठ 101 पर

पश्चिमी स्टार से सम्बन्धित अधिसूचना सं० 3-प्रेज/73, दिनांक 17 जनवरी, 1973, के पंचम खण्ड के उप पैरा (ख) (ii) में से "भीटा, चरबतिया" शब्द निकाल दें ।

2. पृष्ठ 100 पर

पूर्वी स्टार से सम्बन्धित अधिसूचना सं० 2-प्रेज/73, दिनांक 17 जनवरी, 1973, के पंचम खण्ड के उप पैरा (ख) (vii) में "गोरखपुर" शब्द के बाद "भीटा, चरबतिया" शब्द जोड़ दें ।

पे० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 सितम्बर 1973

सं० 3/1/एस० सी० टी० सी०/73—4 सितम्बर 1973 से आरम्भ होने वाली दो वर्ष की कार्यावधि के लिए लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री डी० बसुमतारी — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री पन्नालाल बारुपाल
3. श्री भागीरथ भंवर
4. श्री भानसिंह भौरा
5. श्री बी० एस० चौहान
6. श्री दशरथ देव
7. श्रीमती गंगा देवी
8. श्री डी० कामाक्षैया
9. श्री जेड० काहनडोल
10. श्री जी० वाई० कृष्णन
11. श्री गजाधर माझी
12. श्री योगेश चन्द्र मुर्मु
13. श्री प्रताप सिंह
14. श्रीमती सहोदराबाई राय
15. श्री रामकंवर
16. श्री शक्ति कुमार सरकार
17. श्री चन्द्रपाल शैलानी
18. श्री शम्भू नाथ
19. श्री वी० तुलसीराम
20. श्री आर० पी० उलगनम्बी

राज्य सभा

21. डा० जेड० ए० अहमद
22. श्री तोदक बसर
23. श्री जमनालाल बेरवा
24. श्री एन० पी० चौधरी
25. श्री कल्याण चन्द्र
26. श्री एन० एच० कुम्भारे
27. श्री भैया राम मुंडा
28. श्री सुन्दरमणि पटेल
29. श्रीमती सरोज खापरडे
30. श्री श्याम लाल यादव

श्यामलाल शकधर, सचिव

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1973

संकल्प

सं० 7/9/73-बीज विकास—प्रजनक/केन्द्रक आधारभूत बीजों के उत्पादन की विधियों को सुचारू बनाने के लिए कदम उठाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है ताकि किसानों को बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराना सम्भव हो सके। भारत सरकार ने बीज पुनरीक्षण दल और राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया है कि प्रजनक और आधारभूत बीजों के उत्पादन और वितरण को सुचारू रूप देने के लिए एक समन्वय समिति गठित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीज उत्पादन कार्यक्रम ठोस आधार पर संगठित किए गए हैं। इस समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाएगा :—

1. अपर सचिव (आदान) — अध्यक्ष
2. उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।
3. से 10. तक — धान, गेहूं, सोरघम, मोटे अनाज तथा अन्य फसलों पर जिसमें सब्जियां भी शामिल हैं, अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के समन्वयक ।
11. से 15. तक — कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य अनुसंधान संस्थानों के पांच प्रतिनिधि ।
16. से 20. तक — राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि ।
21. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम ।
22. प्रबन्ध निदेशक, भारतीय राज्य फार्म निगम ।
23. अध्यक्ष, तराई विकास निगम ।
24. उपसचिव (इंचार्ज बीज), कृषि विभाग, भारत सरकार — संयोजक

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) देश में उपयुक्त प्रजनक बीजों का उत्पादन करने वाले यूनिटों को अभिज्ञात करना और उन्हें स्थापित करना ।

(2) राज्य सरकारों की सलाह से देश में उपयुक्त आधारभूत बीजों का उत्पादन करने वाली एजेंसियों को अभिज्ञात करना और उन्हें स्थापित करना ।

(3) विभिन्न संस्थाओं में प्रजनक बीजों के उत्पादन कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना ।

(4) विभिन्न आधारभूत बीज उत्पादक एजेंसियों को प्रजनक बीजों का निर्धारण करना ।

(5) प्रमाणीकृत/उत्तम बीज उत्पादकों को आधारभूत बीजों के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाना ।

(6) बीजों के उत्पादन और वितरण कार्यक्रमों के समुचित कियान्वयन संबंधी अन्य मामले ।

3. समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

4. यह समिति अपने कार्य-संचालन और कार्य विधियों के बारे में नियम स्वयं बनाएगी।

5. इस समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार हुआ करेंगी किन्तु वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० 25-8/68-एल० डी०-1—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 25-8/68-एल० डी०-1 दिनांक 7 अप्रैल, 1972, संख्या 25-8/68-एल० डी०-1, दिनांक 7 जुलाई 1972 तथा संख्या 25-8/68-एल० डी०-1 दिनांक 1 मार्च 1973 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है कि संकल्प के पैरा 1 की मद संख्या (11) की प्रविष्टि में डा० एच० ए० बी० परपिया, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य तकनोलोजिकल अनुसंधान संस्थान मैसूर के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"डा० वाई० के० आलग, निदेशक, सरदार पटेल समाज तथा अर्थ अनुसंधान संस्थान्, अहमदाबाद।"

बी० सी० कपूर, अवर सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए:—

1. सभी राज्य सरकारें /संघ राज्य क्षेत्र
2. लोक सभा सचिवालय
3. राज्य सभा सचिवालय
4. प्रधान मंत्री सचिवालय
5. मंत्रिमंडल सचिवालय
6. माननीय न्यायधीश श्री जी० के० मित्तर, सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, 36/4, साउथ 'एन्ड पार्क, कलकत्ता।
7. श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल।
8. श्री एम० करुणानिधि, मुख्य मंत्री, तमिल नाडु, मद्रास।
9. श्री सिद्धार्थ शंकर राय, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता
10. श्री गोस्वामी गिरधारी लाल जी, प्रधान मंत्री, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, भूपेन्द्र भवन, पहाड़ गंज, नई दिल्ली-55।
11. स्वामी योगेश्वर विदेहीहरिजी महाराज, द्वारा भारत गोसेवक समाज, 3 सदर थाना रोड, दिल्ली-6
12. श्री अक्षय कुमार जैन, सम्पादक, नवभारत टाइम्स, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
13. डा० धर्म नारायण, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. डा० सी० कृष्ण राव, पशू-पालन आयुक्त, कृषि विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
15. श्री एच० ए० बी० परपिया, निदेशक, केन्द्रीय खाद्य तकनोलोजिकल अनुसंधान संस्थान, मैसूर।
16. डा० वी० कुरियम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात)
17. सचिव, गोरक्षा समिति, नई दिल्ली।
18. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली।
19. ई० I, ई० II, ई० III, ई० IV, ई० V, लेखा I व II तथा बजट अनुभाग।
20. सूचना प्राधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली।
21. डा० वाई० के०, आलग, निदेशक, सरदार पटेल समाज तथा अर्थ अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को साधारण सूचना के लिए भारत के राज पत्र में प्रकाशित किया जाय।

बी० के० मलिक, निदेशक (ए० एच० एस० एस०)

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० 38-1/73-सी० ए०-1—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 16-1/69-सी० ए०-11 दिनांक 7 जून, 1969 के अनुसार स्थापित भारतीय बागवानी विकास परिषद् को तत्काल पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद निम्न प्रकार गठित की जायेगी :—

1. अध्यक्ष

एक गैर-सरकारी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।

2. उपाध्यक्ष

कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में भारत सरकार के अपर सचिव।

3. सदस्य

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

(क) राज्य

निम्नलिखित राज्य सरकारों से एक-एक प्रतिनिधि जो सम्बन्धित राज्य के कृषि/बागवानी विभाग से नामजद किये जाएंगे:—

1. असम
2. हिमाचल प्रदेश
3. जम्मू तथा कश्मीर
4. महाराष्ट्र
5. मेघालय
6. मैसूर
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. तमिल नाडु
10. उत्तर प्रदेश

(ख) केन्द्रीय सरकार

1. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि
2. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
3. भारत सरकार के कृषि आयुक्त
4. निदेशक, बागवानी अनुसंधान संस्थान, 255, अपर पैलेस और कार्डन बंगलौर (मैसूर)
5. विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त आयुक्त (विस्तार प्रशिक्षण) अथवा उनकी जगह निदेशक, फार्म सूचना एकक।
6. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर या उनका प्रतिनिधि।

(ग) उत्पादकों के प्रतिनिधि

(i) निम्नलिखित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 प्रगतिशील फल तथा सब्जी उत्पादक :—

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू तथा कश्मीर

7. महाराष्ट्र
8. मेघालय
9. मैसूर
10. पंजाब
11. राजस्थान
12. तमिल नाडु
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

(ii) दो उत्पादक भारत सरकार द्वारा नामजद किये जाएंगे ।

(ब) व्यापारियों के प्रतिनिधि :—
व्यापारियों के तीन प्रतिनिधि

(ङ) फल तथा सब्जी परिसंस्करण उद्योग
फल तथा सब्जी परिसंस्करण उद्योग के तीन प्रतिनिधि

(च) अन्य

(क) तीन संसद सदस्य

(ख) परिषद में जिन व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये भारत सरकार समय-समय पर ऐसे अन्य सदस्य नामजद करेगी ।

4. सदस्य सचिव

निदेशक (बागबानी) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली

5. प्रेक्षक

(जो कि परिषद के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन परिषद के विचार-विमर्श में सहायता करने के लिये निरपवाद आमंत्रित किये जायेंगे)

1. कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) को प्रत्यायित संयुक्त सचिव (वित्त) ।
2. कृषि विपणन सलाहकार ।
3. रेलवे का एक प्रतिनिधि ।
4. एन० ए० एफ० ई० डी० का एक प्रतिनिधि ।
5. भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड का एक प्रतिनिधि
6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।
7. परियोजना समन्वयक (फल)
8. परियोजना समन्वयक (सब्जी)
9. परियोजना समन्वयक (गुणोत्पादन)
10. संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसल)
11. उप सचिव (फसल)
कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)

कार्य

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगा और उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रम पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और प्रगति को तेज करने के लिये उपाय सुझाना;

(2) उद्योग के विकास, निर्यात बढ़ाने तथा इस सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने की दृष्टि से जिन्सों के विपणन, परिसंस्करण, भंडारण, परिवहन तथा मूल्य नीति से सम्बन्धित समस्याओं की जांच-पड़ताल करने में गतिशील भूमिका अदा करना;

(3) कार्यक्रम तैयार करके अनुसंधान तथा विकास के बीच समुचित समन्वय स्थापित करना और अनुसंधान एजेंसियों को उस जिंस की बाजार की क्वालिटी की आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देना ।

(4) निर्यात मण्डी की आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उसके अनुरूप विकास कार्यक्रमों को समंजित करना; और

(5) जिन्स के विकास सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिये ऐसे अन्य कार्य करना, जो उसे समय-समय पर सौंपे जायें ।

3. भारतीय बागबानी विकास परिषद को अधिकार होगा कि वे विशेष महत्व के मामलों पर विचार करने तथा जहां आवश्यक हो सदस्यों को सहयोजित करने (जैसे कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष दिलचस्पी रखने वालों) के लिये आवश्यकतानुसार स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है ।

4. परिषद की बैठक समय-समय पर प्रमुख बागबानी उत्पादक क्षेत्रों में व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और यह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें देगी ।

5. परिषद की अवधि 31-12-1976 तक होगी । परन्तु, संसद सदस्यों की संसद सदस्यता समाप्त होते ही उनकी परिषद की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी । भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर परिषद की अवधि बढ़ा या घटा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० सी० कपूर, अपर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 1973

संकल्प

सं० 7-10/72-अर्थ नीति—भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग को सलाह देने के लिए संकल्प सं० 6-26/69-अर्थ-नीति दिनांक 27 फरवरी 1971 के अनुसार गठित किए हुए

कृषकों के पैनल को पुनर्गठित करने का निर्णय किया है।

पैनल की सदस्यता निम्न प्रकार होगी :—

क्रम सं० (1)	राज्य (2)	नाम (3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	डा० सी० एल० रयाडू, एम० बी० बी० एस०, अध्यक्ष, पंचायत समिति, गन्नावरम ब्लाक, कृष्ण जिला
2.	असम	श्री कुमुद चन्द्र डेका, ग्राम बेजकुची, पो० आ० पत्राचर कुची कामरूप।
3.	बिहार	श्री रघुनन्दन प्रसाद मुखिया, भगमारा ग्राम पंचायत, भगमारा, जिला सारन।
4.	गुजरात	श्री नाथूभाई मावजी भाई देसाई, देसाईवाड़े खेरलू, मेहसाना।
5.	हिमाचल प्रदेश	श्री चैन सिंह, ग्राम तथा डा० अम्ब, जिला ऊना।
6.	जम्मू तथा कश्मीर	श्री राम सिंह चरक, सतवरी (आर० एस० पोरा ब्लाक फार्म), श्रीनगर।
7.	केरल	श्री ए० पी० अमृतनाथ आयर, मनकोम्पू।
8.	मध्य प्रदेश	श्री विनय कुमार दीवान, एम० एल० ए० होशंगाबाद, भोपाल।
9.	महाराष्ट्र	श्री के० एम० पाटिल, एम० एल० ए०, डा० तथा जिला जलगांव, जलगांव।
10.	मणिपुर	श्री कोईजम चौबासिंह वैखम लोकाई इम्फाल।
11.	मेघालय	श्री हांग्मेन जोन्स, बी० ए०, लीसोऊ, बैली फार्म, डा० नेनगपोह, खासी हिल्ज।
12.	मैसूर	श्री के० एम० अब्दुर हफीज बी० ए०, एल० एल० बी०, भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष, कोलार।
13.	नागालैण्ड	श्री एल० लुगालैन्जाज
14.	उड़ीसा	श्री बी० एम० पाणिग्रही, अथामालिक, जिला धेनल।
15.	पंजाब	श्री हरबंस सिंह, ग्राम चौनी, जिला होशियारपुर।
16.	राजस्थान	श्री रामरघुनाथ चौधरी, 385, सिविल लाइंस, जयपुर।
17.	तमिल नाडु	श्री अलादी अरुणा, एम० एल० ए०, आलनगुलम, अलादीपट्टी, डा० नालूर, तेनकासी तालुक
18.	उत्तर प्रदेश	श्री कृष्ण गोयल, एम० ए० ग्राम तथा डा० उझानी, बदायूं।
19.	पश्चिम बंगाल	श्री बंकिम त्रिवेदी, अंचल प्रधान, डा० तथा ग्राम पुरन्दारपुर जिला मुर्शिदाबाद।

संसद के चार सदस्यों की नियुक्ति अलग से अधिसूचित की जाएगी।

पुनर्गठित पैनल का कार्यकाल 27 अगस्त 1973 से एक साल तक के लिए होगा।

पैनल आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगा और कृषि मूल्य आयोग द्वारा सौंपे गए मामलों पर विचार करके सलाह देगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा विभागों, राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों की राज्य सरकारों, योजना आयोग, प्रधान मंत्री, सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत सरकार के महा-नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक, अर्थशास्त्रियों के पैनल के समस्त सदस्यों, कृषि वैज्ञानिकों के पैनल, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

आई० जे० नायडू

अपर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1973

सं० एफ० 15/8/72-एल० 2—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम 1970 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से ये लागू होंगे।

2. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (श्रेणी III और श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में कालम 6 में 'अवर श्रेणी लिपिकों' और 'आशुलिपिकों' के पदों से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:

"25 वर्ष"

एस० एस० भट्टाचार्य,
सहायक शिक्षा सलाहकार

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 1973

सं० एफ० 1-2/72-बाई० एस०-1(2)—अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की कार्यकारी समिति के उन सदस्यों की कार्यविधि को, जो अधिसूचना सं० एफ० 1-2/72-बाई०एस०-1(2) दिनांक 2 मई 1972 तथा 15 नवम्बर 1972 के द्वारा नियुक्त किए गए थे। 1 मई 1973 से एक वर्ष के लिए एतद्द्वारा बढ़ाई जाती है :—

अध्यक्ष

जनरल पी० पी० कुमारमंगलम।

सदस्य

1. श्री जी० पार्थसारथी
2. श्रीमती स्टेफी सिक्यूरा
3. श्री एम० आर० कृष्ण, संसद सदस्य
4. श्री आर० टी० पार्थसारथी
5. डा० कर्णी सिंह, संसद सदस्य
6. श्री जी० के० हान्डू
7. श्री बलवीर सिंह
8. श्री जुल्फिकार अली खां, संसद सदस्य
9. श्री वयालार रवि, संसद सदस्य
10. श्री के० पी० सिंह, देव, संसद सदस्य

सदस्य सचिव

11. श्री कान्ति चौधुरी।

कान्ति चौधुरी,
संयुक्त सचिव

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० एफ०-1-36/73-डब्ल्यू० डब्ल्यू०—श्रीमती नीरा डोगरा, जिन्हें 1 अप्रैल, 1969 को अध्यक्षा, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के रूप में नियुक्त किया गया था, **देखिए** भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग का संकल्प संख्या-एफ०/1-16/69-एम० डब्ल्यू०-3 दिनांक 22 अप्रैल, 1969, से 31 अगस्त, 1973 के अपराह्न को अध्यक्षा के पद का कार्यभार छोड़ दिया। श्रीमती डोगरा को 1 सितम्बर, 1973 से 120 दिनों की अन्तिम छुट्टी मंजूर की गई है।

2. भारत सरकार, श्रीमती सरोजिनी वाराडप्पन को, जो उक्त संकल्प के अनुसार अब तक केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) की सदस्या थीं, अध्यक्षा, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के रूप में नियुक्त करती है। श्रीमती वाराडप्पन ने 1 सितम्बर, 1973 के पूर्वाह्न में श्रीमती नीरा डोगरा के स्थान पर अध्यक्षा का पदग्रहण कर लिया।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय।
6. प्रधानमंत्री सचिवालय।
7. योजना आयोग।
8. लोकसभा/राज्य सभा सचिवालय।
9. पत्र सूचना कार्यालय।
10. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग।
12. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
13. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, नई दिल्ली।
14. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. सभी अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

संकल्प

सं० एफ० 1-46/69-एम० डब्ल्यू०-3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प सं० एफ० 1-46/69-एस० डब्ल्यू०-3, दिनांक 31 जुलाई 1973 जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के कार्यालय, अर्थात बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 अगस्त 1973 तक तथा समेत बढ़ा दिया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार सहर्ष यह निर्णय करती है कि

कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उप-बन्धों के अधीन बोर्ड के कार्यालय अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 सितम्बर 1973 से 31 अक्तूबर 1973 तक तथा समेत दो मास की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय।
6. योजना आयोग।
7. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय।
8. पत्र सूचना कार्यालय।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
10. कम्पनी कार्य विभाग।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, नई दिल्ली।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब सदस्य।

यह भी आदेश किया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एल० पी० सुब्रामनियन,
अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1973

संकल्प

सं० जे० 11014/1/70-खान-1—भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय के सम-संख्यक संकल्प दिनांक 2-2-1971 के पैरा 2 द्वारा गठित पाँच उप-समितियाँ अब निम्नलिखित चार उप समितियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

1—अलौह धातुओं पर उप समिति

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि संयोजक
2. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो।
3. खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि।
4. हिन्दुस्तान ताम्बा लिमिटेड का प्रतिनिधि।
5. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रतिनिधि।
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, राजस्थान।
7. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, आंध्र प्रदेश।
8. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मैसूर,।
9. खनन सलाहकार—श्री आई० एम० आगा।
10. भारतीय एलुमिनियम निगम लि० का प्रतिनिधि।

2—लौह और इस्पात उद्योग के लिए खनिजों की (कोयला को छोड़कर) उप समिति।

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि संयोजक
2. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रतिनिधि।
3. लौह अयस्क बोर्ड का प्रतिनिधि।
4. खनिज समन्वेषण निगम लि० का प्रतिनिधि।
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, बिहार।
6. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मध्य प्रदेश।
7. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, उड़ीसा।
8. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मैसूर,।
9. भारतीय खनन संघ का प्रतिनिधि।

3—अन्य खनिजों पर उप समिति

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि संयोजक
2. खनिज समन्वेषण निगम लि०, का प्रतिनिधि।
3. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो।
4. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, तमिल नाडु।
5. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, गुजरात।
6. भूविज्ञानविद्, उद्योग निदेशालय, पंजाब।
7. निदेशक, भूविज्ञान, केरल।
8. खनन सलाहकार—श्री आई० एम० आगा।
9. भारतीय उर्वरक निगम का प्रतिनिधि।

4—कोयले पर उप समिति

1. महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि संयोजक
2. कोयला खान प्राधिकरण का प्रतिनिधि।
3. भारत कोकिंग कोल का प्रतिनिधि।
4. सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी लि० का प्रतिनिधि।
5. खनिज समन्वेषण निगम लि० का प्रतिनिधि।
6. केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधि।
7. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, बिहार।
8. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, महाराष्ट्र।
9. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, पश्चिम बंगाल।
10. निदेशक, खनन और भूविज्ञान, मध्य प्रदेश।
11. खनन सलाहकार—श्री एस० के० बोस।
12. कोयला बोर्ड का प्रतिनिधि।
13. टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का मुख्य खनन अभियंता।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति से भारत सरकार के मंत्रालयों को सम्मिलित कर समस्त सम्पृक्तों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग और योजना आयोग के संसूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

वीरेन्द्र गोपाल निगम,
उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली दिनांक, 30 अगस्त 1973

संकल्प

सं० ई० आर० बी० 1/73/21/40—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 5 मई, 1973 तथा 26 जुलाई 1973 के सं० ई० आर० बी०-1/73/21/40 के क्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित को भी स्थायी स्वैच्छिक महायता समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया है :—

1. श्री एच० एम० पंडित,
2. श्री आर० बी० झा।

प० लाल,
संयुक्त सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1973

शुद्धि-पत्र

सं० 7-एम० डब्ल्यू० सी० (1)/73-एम० ए०—भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1, दिनांक 2 जून 1973 में प्रकाशित नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) के संकल्प सं० 7-एम० डब्ल्यू० सी० (1)/73 दिनांक 4 मई 1973 में क्रम संख्या 6 तथा 17 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं :—

निम्नलिखित के स्थान पर	निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए
(7) मुख्य पत्तन अधिकारी और उप-सचिव, महाराष्ट्र सरकार, भवन तथा संचार विभाग, बम्बई	मुख्य पत्तन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पत्तन प्राधिकारी, तीसरी मंजिल, इण्डियन मरकैंटाइल चैम्बर्स निकल रोड, बम्बई-40000
(17) श्री घनश्याम दास पोद्दार, मैसर्स नाथू राम नारायण (प्रा०) लि०, रुस्तम बिल्डिंग, 29, चर्च गेट स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1	घनश्याम दास एस० पोद्दार, मैसर्स नाथू रामनरायण (प्राई०) लि०, रुस्तम बिल्डिंग 29, चर्च गेट स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई-1

वि० वि० सुब्राह्मण्यम्,
उप सचिव।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 अगस्त 1973

सं० 1/33/73-एफ० एफ० सी०—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/2/73-एफ० एफ० सी० दिनांक 17 फरवरी 1973 में प्रकाशित फिल्मों सम्बन्धी राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली के नियम 24 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की केन्द्रीय समिति तथा प्रादेशिक समितियां–1972 द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित फिल्मों/निर्माताओं/निर्देशकों/कलाकारों/तकनीशियों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है, अर्थात :—

क्रम संख्या	फिल्म का नाम और भाषा	पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम	पुरस्कार
1	2	3	4
	1. अखिल भारतीय पुरस्कार		
फीचर फिल्में :			
1.	राष्ट्रीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म पुरस्कार		
	"स्वयम्वरम" (मलयालम)	निर्माता श्री कुलत्तूर भास्करन नायर, निर्माता तथा सचिव,	राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा 40,000 रुपए (चालीस हजार)

(1)	(2)	(3)	(4)
		चित्रलेखा फिल्म कोऑप० लि०, श्रीकार्यम, पो० आ० त्रिवेन्द्रम।	रुपए का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक	
		श्री अदूर गोपालकृष्णन, चित्रलेखा फिल्म कोऑपरेटिव लि०, त्रिवेन्द्रम-10 (केरल)।	10,000 रुपए (दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
2.	द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार		
	"कलकत्ता-71"	निर्माता	
	(बंगला)	श्री डी० एस० सुल्तानिया, डी० एस० पिक्चर्स प्रा० लि०, 23-ए०, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	15,000 रुपए (पन्द्रह हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक	
		श्री मृणाल सैन, 4-ई० मोतीलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-29	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति चिन्ह।
3.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए विशेष पुरस्कार		
	"अच्छनुम आप्पनुम"	निर्माता	
	(मलयालम)	श्री सी० सी० बेबी, एम० एस० प्रोडक्शन्स, 25-सर्कुलर रोड, युनाईटिड इण्डिया कालोनी, कोडम्बक्कम, मद्रास-24	30,000 रुपए (तीस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक	
		श्री के० एस० सेतुमाधवन, नं० 4, कन्हैया नायडू स्ट्रीट, मद्रास-600017	10 हजार रुपए (दस हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
4.	निर्देशन में उत्कृष्टता का पुरस्कार		
	"स्वयम्वरम"	निर्देशक	
	(मलयालम)	श्री अदूर गोपाल कृष्णन, चित्रलेखा फिल्म कोआपरेटिव लि०, त्रिवेन्द्रम-10 (केरल)।	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
5.	सिनेमाटोग्राफी "ब्लेक एण्ड व्हाइट" में उत्कृष्टता का पुरस्कार		
	"स्वयम्वरम"	कैमरा मैन	
	(मलयालम)	श्री एम० जी० रविवर्मा, 10-मडेली सैकन्ड स्ट्रीट, टी० नगर, मद्रास-17	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशिस्त चिन्ह।
6.	सिनेमाटोग्राफी रंगीन में उत्कृष्टता का पुरस्कार		
	"माया दर्पण"	कैमरा मैन	
	(हिन्दी)	श्री के० के० महाजन, बिजली कोआप० हाउसिंग सोसाइटी, सी० एस० ट्रैक रोड, बम्बई-400029	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।

1	2	3	4
7.	वर्ष का सर्वोत्तम स्क्रीन प्ले पुरस्कार		
	"कोशिश" (हिन्दी)	स्क्रीन प्ले लेखक	
		श्री गुलजार, कोजी होम कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, फ्लेट नं० 91 पालीहिल, बान्द्रा, बम्बई–50	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
8.	वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार		
	"कोशिश" (हिन्दी)	अभिनेता	
		श्री संजीव कुमार, 18–पेरिन विल्ला, पाली हिल, बान्द्रा, बम्बई–50	एक छोटी मूर्ति (भरत पुरस्कार)
9.	वर्ष का सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार		
	"स्वयम्वरम्" (मलयालम)	अभिनेत्री	
		श्रीमती टी० शारदा, 15–महालिंग चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास–34	एक छोटी मूर्ति (उर्वशी पुरस्कार)
10.	वर्ष का सर्वोत्तम बाल-अभिनेता पुरस्कार		
	"गनूर प्रथम भाग" (बंगला)	बाल अभिनेत्री	
		कुमारी नीरा मालिया, द्वारा नवयेन्दु चैटर्जी, 15–ए०–चन्द्रनाथ, सिमर्ली लैन, कलकत्ता–2	एक प्रशस्ति चिन्ह
11.	वर्ष का सर्वोत्तम पार्श्व गायिका पुरस्कार		
	"परिचय" (हिन्दी)	पार्श्व गायिका	
		कुमारी लता मंगेशकर, प्रभु कुन्ज, पैडर रोड, बम्बई	एक प्रशस्ति चिन्ह
12.	वर्ष का सर्वोत्तम पार्श्व गायक पुरस्कार		
	"अच्छनुम वाप्पयुम" (मलयालम)	पार्श्व गायक	
		श्री जेसुदास, नं० 34, थर्ड स्ट्रीट, अभिरामपुरम, मद्रास–18	एक प्रशस्ति चिन्ह।

1	2	3	4
13.	वर्ष का सर्वोत्तम संगीत निशदेक पुरस्कार		
	(धुनों की मौलिकता के लिए पुरस्कार) "जिन्दगी जिन्दगी" (हिन्दी)	संगीत निदेशक श्री एस० डी० वर्मन, "दि जैट" लिंकिंग रोड, बान्द्रा, बम्बई–50	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह
14.	राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फिल्मी गीत के रचियता		
	"अच्छनुम बाप्पयुम" (मलयालम)	गीत रचियता श्री वयालर ओल्ड वुड लैन्ड्ज, मद्रास–14	एक प्रशस्ति चिन्ह
15.	सर्वोत्तम सूचना फिल्म		
	"इन्नर आइ" (अंग्रेजी)	2. फिल्म सूचना साधन के रूप में निर्माता तथा निर्देशक श्री सत्यजीत रे, 1/1, विशप लेफ्रा रोड, कलकत्ता–20 टेलीफोन नं० 448747	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
16.	सर्वोत्तम सामाजिक फिल्म		
	"ट्रैन्सेन्डैन्स" (अंग्रेजी)	निर्माता फिल्म प्रभाग, (श्री प्रमोदपति), भारत सरकार, 24–पैडर रोड, बम्बई–26 निदेशक श्री के० विश्वनाथ, फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24–पैडर रोड, बम्बई–26	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक। 2,000 रुपए (दो हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह
17.	सर्वोत्तम प्रेरक फिल्म (व्यावसायिक)		
	"डैस्टिनेशन इण्डिया" (अंग्रेजी)	निर्माता मैसर्स सिनेराड कम्युनिकेशन्स, क्षमा भवन, 37–न्यू मैरीन लाइन्स, बम्बई–20	एक पदक।

1	2	3	4
		निर्देशक	
		श्री जफर हाई, सिनेराड कम्युनिकेशन्स क्षमा भवन, 37–न्यू मैरीन लाइन्स. बम्बई–20 (फोन नं० 291245)	एक प्रशस्ति चिन्ह।
18.	सर्वोत्तम कार्टून फिल्म "यू सेड इट" (अंग्रेजी)	निर्माता	
		मैसर्स प्रसाद प्रोड्यूसर्ज, द्वारा फिल्म प्रभाग, 24 पैडर रोड, बम्बई–26 टेलीफोन नं० 361461	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
		निर्देशक	
		श्री राम मोहन, मैसर्स परासर प्रोडक्शन्स, द्वारा फिल्म प्रभाग, 24–पैडर रोड, बम्बई–26	2,000 रुपए (दो हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक प्रशस्ति चिन्ह।
		प्रादेशिक पुरस्कार	
फीचर फिल्में			
19.	"माया दर्पण" (हिन्दी)	निर्माता एवं निर्देशक	
		श्री कुमार शाहनी, 57–वार्ली सीफेस, बम्बई–18	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक
20.	"पिंजरा" (मराठी)	निर्माता एवं निर्देशक	
		श्री वी० शान्ताराम, शांत श्री, डा० एस० एम० राव, रोड, परैल, बम्बई–12	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
21.	"गुणसुन्दरी नो घर संसार" (गुजराती)	निर्माता	
		श्री रमेश एच० सरैया, श्री जयन्त मालवीय, श्री चन्दू लाल गान्धी, 151–कुम्बाल्लाहिल, बम्बई–26	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक	
		श्री गोविन्द सरैया, 151–कुम्बाल्लाहिल, बम्बई–26	एक पदक।
22.	"स्त्रीर पत्र" (बंगला)	निर्माता	
		श्री घुपदी, 7–कैलाश बोस स्ट्रीट, कलकत्ता–6	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
		निर्देशक श्री पूर्णेन्दु शेखर पत्री, 139—बंगुर एवेन्यू, ब्लाक बी०, कलकत्ता—55	एक पदक।
23.	"उपजा मौनार माटी" (असमिया)	निर्माता मैसर्स प्रगति सिने, प्रोडक्शन्स लि०, पो० ओ० पाणिगांव, नार्थ लखीमपुर (आसाम)	5,000 रुपए। (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक स्वर्गीय ब्रजेन बरुआ, लतासिल, उजान बाजार, गोहाटी—1	एक पदक।
24.	"मतमगी मणिपुर" (मणिपुरी)	निर्माता श्री करम मनमोहन सिंह, मोइरंग-खोम युमनान, इयैकैई, पो० ओ० इम्फाल, मणिपुर।	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री देव कुमार बोस, 5, डा० सत्यानन्द राय रोड, कलकत्ता—29	एक पदक।
25.	"पट्टीकाडा पट्टनमा" (तमिल)	निर्माता तथा निर्देशक श्री पी० माधवन, अरुण प्रसाद मूवीज, 3, इलैंगोसलाई, मद्रास—18	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार तथा एक पदक।
26.	"पडिटक्कापुरम्" (तेलुगु)	निर्माता श्री जी० हनुमन्त राव, 111, फर्स्ट फ्लोर, माउण्ट रोड, मद्रास—6	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री लक्ष्मी दीपक, नं० 1, नार्थ बांग रोड, टी० नगर, मद्रास—17	एक पदक।
27.	"गार पंजर" (कन्नड)	निर्माता श्री सी० एस० राजा, मैसर्स बर्धनी आर्ट पिक्चर्स, 25-II, मैन रोड, सी० आई० टी०, कालामा, मद्रास—4	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।

1	2	3	4
		निर्देशक श्री एस० आर० पुट्टण्णकगल, नं० 25-II, मेन रोड, सी० आई० टी० कालोनी, मद्रास–4	एक पदक।
28.	"पणि तीराता वीडु" (मलयालम)	निर्माता श्री के० एस० आर० मूर्ति, 4–कन्नैया नायडु स्ट्रीट, मद्रास–6 0 0 0 1 7	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए) का नकद पुरस्कार।
		निर्देशक श्री के० एस० सेतुमाधवन, 4–कन्नैया नायडु स्ट्रीट, मद्रास–6 0 0 0 1 7	एक पदक।

29. दादासाहब फाल्के पुरस्कार

फिल्मों सम्बन्धी राष्ट्रीय पुरस्कार नियमावली के नियम 3 के उपनियम (4) तथा नियम 16 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1972 के लिए भारतीय सिनेमा के लिए असाधारण योगदान के लिए श्री पंकज मल्लिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार में 11,000.00 रुपए नकद, एक प्रशस्ति चिन्ह तथा एक शाल है।

हरजीत सिंह, अवर सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1973

संकल्प

विषय :—असम की राजधानी के स्थान का चयन करने के लिए समिति की नियुक्ति।

सं० के०-14011/26/72-यू० डी०-II—निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 15 मार्च 1973 के संकल्प सं० के०-14011/26/72-यू० डी०-II द्वारा असम की राजधानी के स्थान के चयन हेतु नियुक्त की गई समिति की अवधि एतद्द्वारा 15 सितम्बर 1973 से 14 मार्च 1974 तक छः मास के लिए और बढ़ाई जाती है।

2. समिति का गठन तथा कार्य विषय वही रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० प्रभाकर राव,
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० जी० 25017/1/72-एल०-II—यतः इस मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी 1971 के संकल्प सं० जी० 25017/1/70-एल०-II में भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यविधि की विस्तृत जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

तथा यतः इस मंत्रालय के दिनांक 23 फरवरी 1973 के संकल्प सं० जी० 25017/1/72-एल०-II द्वारा इस का कार्यकाल 31 अगस्त 1973 तक बढ़ा दिया गया था।

तथा यतः समिति, रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने तथा उसे सरकार को प्रस्तुत करने में कुछ और समय लेगी, अतः समिति के कार्यकाल को 1 सितम्बर 1973 से दो(2) मास की और अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समस्त संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

आर० गोपालस्वामी,
संयुक्त सचिव

FRtSlDFNJ'S -SECRETAR1AJ

\~*mi- Delhi, tlm* 26//i *January* 197.1

j\'u. 44-I'n-xJ2.—I he President is pleased to appro\L' the award of the NAO SKNA MEDAL Lo the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or counigc :—

1. Commander THI KRISHNA SACUDKV *(X),* Indian Navy,

Commander Tcj Krishna Sachdev was ihe senior olliccr *ol* n Mine Counter Measures Squadron diun'ng ihc intncsweeping operations in Bunglndcsb. The Pakistan Navy had mined the coastal urea and approaches to various harbours in Bangladesh as a measure of defence against any attack. After Ihe cessation of hostilities, clearance of these mines became essential as no ship could otherwise enter these ports without the danger of being blown up. Comn:ander Sachdev w;is ordered to plan and execute the sweeping of these live mines with, utmost urgency. It was the first time in the history of the Nayy that Indian Naval Ships were going 10 undertake clearance of live mines. The job called for detailed planning, collection of necessary stores, spares and ex-Icnshe training of the personnel. He toLjk up the" challenge and planned the operations with utmost care and thoroughness and tie established a 20 mile long and one mile wide channel through the mine-fields off Cbittiigong, in a record lime without any casualty.

Throughout, Commander Toj Krishna Saclxlev displayed courage, leadership and devotion to duty.

2. Lieutenant Commander BHUPINDER S1NC1H ACHRKJA ;X). Indian Navy,

lieutenant Commander Hhupindei Singh Achreja was commissioned in July 1958 and qualified as a pilot in May 1959: He was selected for an Indian Naval Air Squadron and embarked on board the Carrier in the United Kingdom in July 1961. He completed over 300 flying hours and 125 Week landings in his first tenure in the Indian Naval Air Squndrot;, He has completed three tenures in the front line lighter Squadron and *his* logged over 650 hours on Sea Hawks and 260 accident-free deck, landings on board the Currier by day and night. He WHS the Senior Pilot of the Indian Air Squadron in his last tenure in the Squadron, During March, 1965, while flying from the Carrier, he carried out an emergency barrier arrest in u Seu Hawk. He is the only pilot to have earned out an emergency barrier landing on board with no damage to the aircraft at all. He was a member of the aerobatics team which put up commendable performance in 1971 during various exercises and displays for visiting dignitaries.

'throughout. Lieutenant Commander Bhupinder Singh Achreja displayed courage and devotion to duty.

3. Lieutenant Commander SAII.ESH RANJAN DEB GUPTA (X), Indian Navy.

Lieutenant. Commander Sailcsh Ranjan Dcv Gupta was the Captain of u Helicopter which was detailed to rescue civilians who were marooned by floods near Madurai on the 18th December, 197.1. On arrival, he observed that the area was fully flooded and the survivors perched on tree tops, telegraph poles and other floating obiccis. ft was impossible to land anywhere and the only method available to rescue the survivors was to winch them up which itself was very hazardous. The survivors were also in a slate of mental shock which made the problem even more difficult. The rescus wus so hazardous that a civilian helicopter was lost earlier in the same area whilst attempting rescue. Inspile of these serious hazards, he decided to undertake the operation and lowered one of the crew of his helicopter who helped survivors into the rescue strap and thus rescued 18 survivors, including a small child.

Lieutenant Commander Sailcsh Ranjun Deb Gupta, thus displayed professional skil, courage and devotion to duty.

4. Lieutenant Commander JAl GOPAL (X), Indian Navy.

Lieutenant Commander Jai Gopal was the first Naval Observer to be selected for Navigator's training with the Indian Air Force, On completion o[Navigator's training, lie was selected t(i *uo* in Franca lot an Indian Naval Air Squadron. He has completed 4 tenures in the front lino squadron in-11 lading one as the Senior Observer of Indian Naval Air Squadron. During his 6 years service in the Squadron, he has flown more than 1500 hours on an Alize Aircraft. During, the period November. 1968 to September. 1970, he flew a total of 543.10 hours on Alize Aircraft, He has also rendered commendable service during his tenure with the Carrier and. the Shore Air Station. H© is the first Observer to have qualified, by passing the examination, for the Associated Membership of Aeronautical Society of India. Dining his service in the Squadron, he took part,in GOA Operations and the 1965 Operations. He has also made special contribution lo ihe Naval Aviation.

Throughout, Lieutenant Commander Jai Gopal displayed professional skill, courage and devotion to duty,

5. Lieutenant, Comnjondier DIUP CHOUDHUR) (X)L Indian Navy,

Lieutenant Commander Dilip Choudhuri was commiis-t sioned in July, 1958 and qualified as an Observer in the Fleet Air Arm in early. 1962. JHe is one of the most experienced Observers in the Navy todav and is at present holding the appointment of the Senior Observer in an Indian Navy Air Squadron. He has served with merit in the Air Squadron as an Observer and as Squadron Communication Officer in a senior ship. Durine the 1965 Operations, he was the Detachment Commander of a. flight of aircraft which did very useful work in locating the enemy radar stations in the Western Sector. He and his crew flew over 60 hours in a period of 15 duys in September. 1965 all alonjj und, close to the Western border. All this flying was done in the broad day light during the thick of the conflict and at time without any fihter escort. During the 197] Operations as well, hi?, in his capacity as the Senior Observer of an Indian Navy Air Squadron, conducted himself with exceptional devotion to duty. For nearly three months, the Squadron operated away from its parent station, and maintained a continuous gu.iiir of the approaches to Bombay harbour. This task entailed round the clock flying in long and tiring sorties under difficult, conditions. In spite of this strenuous duty, he worked tirelessly and assisted his Squadron Commander in planning the various operational tasks as ordered.

ThroiiKhout, Lieutenant Commander Dilip Choudiuri displayed courage, teardcrship and devotion to duty.

6. lieutenant Commander PURSHOTTAM DUTT SHARMA (X), Indian Navy.

Lieutenant Commander Puishottam Dutt Sharma was commissioned in July, 1960 and qualified us a pilot in December, J961. He is one of the very experienced fighter pilots in the Navy todav and is at present commanding an Indian Naval Air Squadrqn—a frontline fighter squadron. He completed over 350 hours on the Sea Hawk aod over 150 Dock landings in his very first tenure in ihe frontline squadron and has logged nearly 1500 flying hours and over 200 Deck landings both by day and night. He has also qualified as an Air Warfare Instructor, a job in which he has acquitted himself with credit both in the training squadron and the frontline squadron. He has the unique distinction of serving in the frontline Air Squadron during both the 1965 and 1971 Operations. For his distinguished and meritorious service during the 1971 Operations, he was also mentioned in despatches. Ho also earned a commendation from the Chief of the Naval Stall' in January. 1971. He has the distinction of beinp the member of Squadron Aerobatic Team.

Throughout, Lieutenant Commander Purshottum Dutt Sbarjna displayed courage and devotion to duty.

7. Lieutenant BANSI LAL SHARMA (X), Indian Naw.

Lieutenant Bansi Lai Sharma was ths second in command of one of the Indian Naval Minesweepers and the Squadron Torpedo and Anti-Submarine Officer of the Mine Counter Measures Squadron, when the ship was deployed for clearance of mines in Bangladesh. He was entrusted with the vital task of planning for the live minesweeping operations off Pusur River and Chittagong, embarkation *ot* minesweeping equipment and working up the minesweeping crew. This wus achieved with utmost meticulous c[a]re and foresight. The morale of the crew was very high throughout tht period of operations and they were well organised into

¶\ harmonious fighting unit, under his inspiring leadership. In February, 1972, when his commanding oilicer Suddenly fell ill, he assumed command and sailed other ships of his squadron through mined waters which were heavily fouled with fishing stakes, wrecks and sailing/fishing boats off Chittagong for minesweepLng Operations. During this period, the firs! live mine was detected and disposed of successfully. He was also responsible for rescuing 34 survivors including the Captain of Indian Merchant Ship VISHWA KUSUM which was abandoned after an explosion off Chittagong.

Throughout, Lieutenant Bansi Lai Shurma displayed courage, leadership and devotion to duty.

8. Lieutenant AJ1T TiWARI (X), Indian Navy.

lieutenant Ajit Tiwari was the Commanding Officer of one of the Indian Naval Minesweepers, which were deployed for the clearance of mines in Bangladesh in January, 1972. The Pakistan Navy, during the hostilities, had mined the co_astai area and approaches to various harbours in Banfjlaj: desh as a measure of defence against any attack. After the ce,ssatiQp of hostilities, clearance- of these mines became a ma_ttpr of paramount importance, because no ship could otherwise enter these ports without the danger of being blown up. It was affecting the sea borne trade of Bangladesh adversely. He was allotted the task of clearance of ground mines laid in the entrance to Pusur River. Clearance of this channel was vital without which Mangla and Khuhra ports could not be used. He completed the task, which involved his ship sailins through dangerous mined waters, most expeditiously. The shallow depth, strong tidal conditions, poor visibility and night minesweeping all added to this danger considerably.

Throughout. Lieutenant Aiit Tiwari displayed courage, leadership and devotion to dutv.

y. Sub Lieutenant ANUP KUMAR MEHROTRA (X)- lndian Navy.

Sub Lieutenant Anup Kumar Mehrotra was serving on board one of the Indian Naval Ship, which salvaged three (:raft of the Shipping Corporation of India which had run agro_und off Great Coco Island, north of the Andamans *is* April 1972. He was detailed to take charge of various seamanship evolutions, during this salvage operation. The work involved wading through chest deep sea water, during day and nifiht, climbing the wreck, guiding his party to lay wires on the sea bed, bouying the wires with 45 gallon drums and ^pending Ions hours in boat to achieve the above task- He accomplished the above task in a most commendable manner. The devotion to duty and promptness displayed by him were a source of inspiration to the members of his party. His aptitude for practical seamanship and his initiative were well marked.

In this sidva.se operation. Sub Lieutenant Anup Kumar Mchrolra displayed courage and devotion to duty.

10, GANPAT SINGH, Master Chief Petty Officer. Second Class (Diver First Class) No. 43177.

On the 241h March, 1972. Naval Divers were called Upon to clear the impediments in the under-water installations of flurmah Shell Refineries Limited at Hom bay. The task was successfully completed within two days. During the entire divine; operation, Master Chief Petty Officer Ganpat Singh worked underwater for prolonged periods under adverse conditions and removed large iiccummulation of barancles and other marine nrowth »;roru the euides and opening surfaces of the blind Rales and sill. He showed tremendous skill in iHiidinf! the heavy sled blind eatles into the guides under water in nil visibility. Suon after, he took part in the diving operations at Bhavnagar l'ro$_m$ 2nd to 10th April, 1972. The tusk of diving in swift and dangerou; under water currents in the area was challenging and risky. Once aUain, he rose to the occasion and dived time and nsain at a great personal risk. His determination and skill in diving were a great source of courage to his fellow diver, who was assisting him. The courage and resourcefulness in tackling the underwater work bv him was creditable feat resulting in successful completion of the task.

Throughout. Master Chief Petty Officer Ganpat Singh displayoil cuurmje and devotion to duly.

11.J1BA NAND THAPLIYAL, Petty Officer (Diver Second Class) No. 46993.

In April, 1972, at the request of the Oil and Natural Gas Commission, a Naval Diving Team was sent to carry out divins operations *at* Bhavnagar. Petty Officer Jlba Nand '1 hapliy;il was a member of the teami during the diving operations, from 2nd to 10th April. 1972. At the locale of the divine operation.;, high tidal ranges, treacherous underwater currents and nil visibility conditons underwater, made diving hazardous. In spite of these impediments, he voluntarily undertook the task of diving at u great personal risk. He stiiyed under water for prolonged periods and gave invaluable assistance and moral support to his fellow diver. During seven day$_a$ of divinft operations, he remained underwater for long periods thereby saving diving efforts, as new divers take long to settle down. He showed great grit and skill in handing the heavy cumbersome anodes underwater in very strong tidal currents and nil visibility conditions,

Throughout. PelLv Officer liba Nand Thapliyal displayed courage and dovotion to dutv.

12. MQHAN DAS PER1NCHER1, Leading Air Handler (Air Crew Diver) No. 89175. Indian Navy,

Mohan Das pcrincheri was the winch operator of a Helicopter provided at the request of the Government of Tamil Nadu to effect, rescue of the civilians who were marooned by llo.Qd. in the river Vaigal near Madurai on the 18th December, 1971. The survivors were perched upon tree tops, teleiiraoh Doles and oihcr floating objects. Shock and exhaustion had incapacitated 'heir mental and physical powers. The rescue cpyld only be effected bv winching up these survivors. This operation required the hiRhest degree of concentration and skill. He was not onlv required to winch up the survivors but also to utiide the pilot in hovering on the correct spot, and to warn him afiainst any nearby obstructions. The winching up operations required utmost alacrity and speed due to limitation of 'fuel. He executed the winching *i\n* with Sisal efficiency, devotion to dutv and remarkable concentration ;uid thus rescued 18 survivors, including a small child.

Throughout, Mohan Das Pcrincheri, Leading Air Handler, displayed courage and devotion to duty.

13. PHAKAM PRAKASH Seaman 1st Class UW 3 (Ship Diver) No. 91956.

Bcl'iice the Pakistan Arm_y had surrendered at Dacca, they had dumped large quantities of currency, coins and other valuables jjito the Karnaphuli river. Ori the 3rd July. 1972, at the request of the^Bungladesh Bank, Indian Naval Divers undertook diving operations at Chittagone. to recover the coins and valuables. .Dharam Prakash, Seaman 1st Class, took part in the diving operations for seven days. River Karnaphuli flows at an average rate of 6 knots, Therefore, diving operations had to be conducted only at low water slacks, when the out flow slowed down. But the period of low water slack was very short and divers had to work very fast to do maximum possible during this period. Eight months had elapsed since the coins and valuables were dumped in *the* river and these were deeply embeded in the sill. Notwithstanding the adversities, the sailor set himself to the lask with meal; determination and a verv high sense oC duy. On manv occasions, in total disregard to his own safety, the sai'or dived to make the recovery operations a success. During these operations coins worth 46,517 Pakistani Rupees were recovered besides large quantities of Gold and Silver ornaments and some arms and ammunitions. Dharam Prakash was largely instrumental for this recovery.

Thro.tichotit, Dharam Prakash. vSeaman 1st Class, displayed couraije and devotion to dutv.

14. RAMACHANDRA ATHIRAMAN, Engine Room Artificer. 3rd Class, Number 52576, Indian Navy.

Ramnchandra Athiraman, Engine Room Artificer, was serv. ing on boqrd one of the Indian. Naval Minesweepers which were deployed for the clearance of mines in Bangladesh

waters. He WHS responsible for the high operational readiness of the ship. Jt was to his credit that an Inshore Minesweeper, a small ship, could traverse from Bombay to Bangladesh, a distance of 2500 miles, inspito of the. fact Lhat tfce ship's enainps had already been overworked during the hostilities wilh Pakistan. During the mineswespintf operations, he worked endlessly, with limited resources, rectfying defects, disregarding his personal comforts. When the ship was engaged in clearing minps in the Pussur river, **Uic** pulse generator ot' the ship developed defects. Artificer Athiraman, in utter disregard tQ his personal safety, went down to the. generator room, while the ship was in the minefield, rectified the defects und thus enabled the ship to complete its task successfully. Agaiin when the ship was returning to harbour, one of the o'iesel generators caught fire evolving a lot of smoke. There was a likelihood of fire spreading to the fuel tank and main engines. The only way the lire could be stopped was by cuttjnc off ths fuel supply 1o the fteperator. Artificer Athiraman appreciating ihc danger to the ship went inBide the Engine Room and closed the fuel supply. In the process, he fell unconscious und had to be pulled out and given artificial respiration.

Throughout.. Ramachandra Alhiraman Engine. Room Artificer, displayed courage and devotion to duty.

No. 45-Pn'i:/73.—The President is pleased to approve the award of the BAR to. NAO SENA MEDAL lo :—

Commander AMRIK SINGH (X), N.M., V.S.M., ludin Navy.

Comrriunder Arurik Singh was the commanding officer of an Indian Naval Ship which salvaged three vessel-, of the Shipping Corporation of Jndia which had run aground off Great Coco Island, north of the Andamans in April, 1972. Ha was on passaae to the Andamans, when he was ordered lo proceed to salvajie these vessels. He observed that the craft. had been severely dttmaged duo to the rocky nature of [he sea bottom and the battering received because of bad weather. Th? rocks had wedged firmly into the craft, which made the salvage operation .all the more difficult. Commander Amrjk Singh not onlv made arrangements for the salvage of the craft and the connecting of the towing gear under extremely difficult conditions but ;ilso ensured safe navigation of his ship in confined waters. He also displayed extreme tacl in the handling of the local population ashore to such good effect that they also extended all possible help to flic ship.

In this operation. Commander Amrik Singh displayed courage, leadei'.ihip and devotion lo duty.

A. MITRA,
Secretary to the President

New Delhi, the 12th September 1973

No. 46 JV.1./73,—The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the statutes relating to the .Poorvi Star and Paschimi Star Medals published in Pant I. Section .1 of the Gazette of India dated the 27th January, .1973 undtfr Notifications No. 2-Prcs/73 & 3-Pres/73 dated the 17th January, 1973, namely:—

At page—119

Delete the words 'HH1TA, CHARBATIAH' from sub-para (b)(ii) tinder Clause Fifthly of Notification No. 3-Pres/73, dated 17**th** January, 1973, relating to Paschimi Star.

Add the words 'BH1TA. CHARBATIAH' after the word 'GORAKHPUR' in sub-para (b)fvii) under Clause Fifthly of Notification No, 2-Pres/73. dated **17th** January. 1973, relating to Pboivi Star,

Nn. 47-Prc.<;/75.Corrii>entJiim.—In this Secretariat Notification No, 19-Pres/72, dated the 20th January, 1972 (English version) published in PHrt T Section 1 of the Gazette of India dated Hie 12th February, 1972 :—

At paw 189

Serial No. 4 below the name of Commander KASARGOD PYTNASHHTTl GOPAL RAO, VSM

Far "Effective dale of the award—4th December. 1972"

Head "Effective dato of the award—4Lh December, 1971"

P. N. KRISHNA **MANI**
Joint Secretary to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 5th September 1973

No. 3/1/SCTC/73.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for a term of two years from the 4th September. 1973,

CHAIRMAN

1- Shri D. Basumatari

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri .Pannalal Bampal
3. Shri Bhagiriith Bhanwar
4. Shri B. S, Bhaura
5. Shri H. S. Chowhan
6. Shri *D.* Deb
7. Shrimaii Ganga Devi
K, Shri D. Kamakshaiah
9. Shri Z. M. Kahandole
10. Shri G. Y. Krishnan
1). Shri Gajadhar Majhi
12. Shri Yoeesh Chandra Murmu
13. Shri Parlap Singh
14. Shrimati Sahodrabai Rai
.15. Shri Ramkanwnr
16. Shri Sakti Kumar Sarkar
17. Shri Chandra Shaiiani
18. Shri Shambhu Nath
19. Shri V, TulMKim
20. Shri R, P. L^uganambi

RAJYA SABHA

21. Dr. Z. A. Ahmad
22. Shri Todak Uasar
23. Shri Jamn.ilal Berwa
24. Shri N. P. Ciiaudhari '
25. Shri Knlyan t hand
26. Shri N. H. k:;mbhare
27. Shri Bhaiya Ram Munda
28. Shri SundarnKini Pate)
29. Shrimati Sard Khapardc
30. Shri Shyani l.til Yadav.

S. L. SHAKDHER, Secy.

MINISTRY" OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 23rd AuRust 1973

RESOLUTION

. No. J-11014/1/70·Ml—The five Sub-Committees set *an* ude purr, 1 or the lfite Ministry of Petroleum and Chemical

and Mines A Melals*s Resolution of even number dated 2-2-1971 will be 'henceforth replaced by the following four sub-committees,

1 *Siib-Cairnnittee on Non-Ferrous Metals*

1. Representative of Director General, Geological Survey of India—Convenor.
2. Controller, Indian Bureau of Mines.
3. Representative of Mineral Exploration Corporation
4. Representative of Hindustan Copper Ltd. Ltd.
5. Representative of Hindustan Zinc Ltd.
6. Director of Mining & Geology, Rajasthan.
7. Director of. Mining & Geology. Andhrn Pradesh.
R. Director of Mininc & Geoloev, Mysore.
9. Mining Adviser—Shri I. M. Aga.
10. Representative of Aluminium Corporation of India Ltd.

2. *Sub-Committee of Minerals for Iron and Steel Industry (Except Coal).*

1. Representative of Director General, Geological Survey of Tndia—Convenor.
2. Representative of National Mineral Development Corporation.
3. Representative of Iron Ore Board,
4. Representative of Mineral Exploration Corporation Ltd.
5. Director of Mining & Geology, Bihar.
6. Director of Mining & Geology, Mndhya Pradesh.
7. Director of Mining & Geology. Orissa.
8. Director of Mining & Geology, Mysore.
9. Representative of Indian Mining Association.

3. *Sub-Committee on other Minerals*

1. Representative of Director General, Geological Survey of Indian—Convenor.
2. Representative oF Mineral Exploration Corporation Ltd.
3. Controller, Indian Bureau of Mines.
4. Director of Mining & Geology, Tamil Nadu.
5. Director of Mining & Geology. Gujarat.
6. Geologist, Directorate of Industries, Punjab.
7. Director of Geology, Kerala.
8. Mining Adviser—Shri I.M. Aga.
9. Representative of Fertilizer Corporation of India.

4. *Stib-Committge on Coal.*

1. Representative of Director General, Geological Survey of India—Convenor.
2. Representative of Coal Mining Authority.
3. Representative of Bharat Coking Coal.
4. Representative of Singarenf Collieries Co. Ltd.
5. Representative of Mineral Exploration Corporation Ltd.
6. Representative of Central Eucl Research Institute.
7. Director of Mining *k* Geology, Bihar.
8. Director of Geology & Mining, Maharashtra.
9. Director of Mining & Geology, West Bengal.
10. Director of Mining *Sc* Geology, Madhya Pradesh.
11. Mining Adviser—Shri S. K. Bose.
12. Rteptcsentative of Coal Board.
13. Chief Mining Engineer, T1SCO.

ORDER

OKDI-RED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned including the Ministries of Government of India all the State Governments, Union Territories, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Aflaurs and the Planning Commission.

OWW.RKD iilso that the Resolution he published in [ho Ga-zelte of Indin Ior general informal ion.

V. G. NIOAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

A'eii' *Di:lhi. /lit- 22nd August* 1973

RESOLUTION

F. No. 7-9/73-SD.- -The Government of India have been considering the steps to be taken for streamlining the procedures for production of breeder/nucleus foundation seeds of di/Terent. crops so that it is possible to ensure quality beeds being made available to farmers. The Government of Tndia have decided, after considering the recommendations of the Seed Review Team and the National Commission on Agriculture that in order to streamline the production and distribution of breeder and foundation seeds a Coordinating Committee shall be constituted to ensure that the seed production programmes arc organised on a sound footing- The composition of the Committee shall be as under :—

(1) Joint Secretary (Inputs) Chairman.

(2) Deputy Director General (Crop Sciences), I.C.A.R.

(3) to (10)

Coordinators of all-India Coordinated Research Projects on paddy, wheat, sorghum, millets and other crops including vegetables.

(11) to (13)

5 representative of the Agriculture Universities and State Research Institutions.

(16) to (20)

5 representatives of State Governments.

(2L) Managing Director, National Seeds Corporation.

(.22) Managing Director, State Farms Corporation of India.

(23) Chairman, Tarai Development Corporation.

(24) Deputy Secretary (in charge of seeds) Department of Agriculture, Govt, of India. Convenor.

2. The terms of reference of the Committee shall be as under :—

(i) Identify and locate suitable breeder seeds producing units in the country.

(ii) Identify and locate suitable foundation seeds producing agencies in the country in consultation with State Governments.

(iii) Finalizing the production programmes of breeder seeds at the various Institutions.

(iv) Allocation of breeder seeds to the different foundation seed producing agencies.

(v) Laying down guidelines for the allocation of foundation seeds to the certified/quality need producers.

(vi) Any oihei- matter incidental to smooth implementation of production and distribution programmes of seeds.

3, The terms of the members of the Committee shall be two years.

4. The Committee will draw up its own rules for conduct of business and procedures.

5. The Committee shall meel as often as required but at least twice in a year.

ANNA R. GEORGE. Jt. secy.

New Dolhi-1, the 27th August 1973

RESOLUTION

No, 7-10172-Econ, Pi'.—The Government of Indiu h;iur decided, to reconstitute the PaneJ of Farmers which was last reconstituted in their Resolution No. 6-26/69-Econ, Py., dated 27th February, J971, to advise the Agricultural Prices Commission,

The membership of tliL- Panel will be as follows : • -

S. No	State	Names
1.	Andhra Pradesh	Dr. C. L. Rayadu, M.B.,B,S., President, Panchayat Samiti,, Gannavaram Block Krishna Distria.
2.	Assam	ShrJ Kumud Chandra Deka, Village Bezkuohi, P. O. Patachar Kuchi, Kamrup.
3.	Bihar	Shri Raghunandan Prasad, Mukhla, Bharamaran Gram Panchayat, Bharamaran, Dist. Saran.
4.	Gujarat	Shri Nathubhal Savji Bhai Dcsai Desaiwado Kheralu, Mohsana.
5.	Himachal Pradesh	Shri Chain Singh, Village and P.O. Amb,, Distt Una,
6.	Jammu & Kashmir	Shri Ram Singh Chorale. Satwari, (R.S. Pora Block Farm), Srinagar.
7.	Kerala	Shri A. P. Amrithanatha Iyer, Mancompu.
8.	Madhya Pradesh	Shri Vinaya Kumar Diwan, M. L. A., Hoshangabad, Bhopal.
9.	Maharashtra	Shri K. M. Patil, M.L.A., Post and Distt. Jalgaon, Jalgaon.
10.	Manipur	Shri Kojjam Chaoba Singh, Waikhom Leikai, Imphal.
11.	Mcghalaya	Shri Horon Jonos, B.A. lewsew Valley Farm, P. o, Nongpohj Khasi Hills.
12.	Mysore	Shri K. M. Abdul Hafiz, B.A, LL.B.,, Ex-Municipal President, Kolar.
13.	Nagaland	Shri L. Lungalanags,
14.	Orissa	Shri B. M. Panigrahi, Athamallick, Distt. Dhcnkanal,
15.	Punjab	ShriHarbans Singh, Village Chauni, District Hoshiarpur,
16.	Rajasthan	Shri Ram Raghunath Chaudhary, 385, Civil Lines. Jaimir
17.	Tamil Nadu	Shri Aladi Aruna, M.L.A., Alangulam, AJadipatti, Nallur Post, Tenkasi Taluk.
18.	Uttar Prudesh	Shri Krishna Goyal, M. A, Village and Post Ujhani! Budaun,
19.	West Bengal	Shri Baukim Tribedi, Anchal Prodhan, Village and P. O. Purandarpur., District Murshidabad.

The apporntment of four Members of-Parliament wil] be notified separately.

The tenure of the reconstituted Panel will bo for a period oi one year with effect from 27th August, 1973.

The Panel will meet as often as necessary and consider and advise, on matters referred to it by the Agricultural Prices Commission.

ORDER

ORDERED that u cop> of the Resolution be communicated 10 all Ministries and Department of Uie Government of India, Hie Slaica and Union Territories Administrations, Planning Commission, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat. Rujya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, all members of the Panel of Economists, panel of Agricultural Scientists and all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture),

ORDERED also that (he Resolution be published in the Ga7ette of India for general information.

I. J. NAIDU, Add I. Secy.

New Delhi, the 4th September 197T

RESOLUTION

No. 25-8/68-LD/.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 25-8/68-LDT dated 7th April 1972. No. 25-8/68-I.DI dated 7th Julv 1972 and No. 25-8/68-I.DT dated 1st March 1973. the Central Government have decided that for the entry against item No. (II) of. para! i of the Reso'ution, in lieu of Dr. H. A. B, Parpin. Director. Onlral Food Technological Research Institute, Mysore, the following shrill be *substituted* :—

"Dr. Y. K. Alne, Director. Sardar Patd Institute of Social & Economic Research Ahmedabad,"

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

ORDER

OitDnWin that *a* copy of Ihe Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajyn Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Secretarial.
5. Cabinet Secretariat.
6. Mr. Justice G, K. Mitter, Retd. Judge, Supreme Court, 36/4 South End Park, Calcutta.
7. Shri PraVash Chander Sethi, Chief Minister, Madhya Pradesh, Bhopal.
8. Shri M. Karunanidhi, Chief Minister, Tamil Nadu, Madras.
9. Shiri Siddhartha Shankar Ray. Chief Minister, West Bengal, Calcutta.
10. Shri Goswami Girdharj Lalji, Pradhain Mantri, Sanfttan Dharm Pratinidhi Sabha, Bhupendra Bhawan, Pahar Ganj, New Delhi-55.
11. Swami Yogeshwar Videhi Hariji Maharaj. Dwara Bhai-at Gosevak Samaj, 3. Sadar Thana Road, Delhi-6.
12. Shri Akshva Kumar Jain, Editor, Nav Bharat Times, Rahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
13. Dr. Dharam Narain. CbaiiTnan, Agricultural Prices Commission, Krishi Bhawan, New Delhi.
14. *Tir.* C. Krishna Rao, Animal Husbandary CommiBRion, Department of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.
15. Shri H. A, fl. Parpii*. Director, Central Food Technological Research Institute. Mysore.
16. \G. Dr. V. Kurian, Chairman, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat)
17. Secretary. Committee on Cow Protection, New Delhi.
18. T.C.A.R.. Kirlshl Bhftvan, New Deihi.
10, FT.. R.TT., H.TTL. R.TV.. F,.V., Accounts T and Tl and Budget Section.

?A). Information Officer, Department of Agriculture. New Delhi.

?,1. Dr. Y. K. Alai;. Director, Sardar Pniel Institute of Social & Economic Research, Ahtnedebad

ORDER^I) also that tb« Resolution I>c published in the Gazette of Tndin for general information,

V. K. MAI.IK. Director (AH & SI. 1

New Delhi, the 5th September 1973

No. 38-1/73-C4/.—The Government o[Tndia have decided to reconstitute wilh immediate effect the Indian Horticulture Development Council set up *vide* their Resolution No. 16-1/69-CA.Il dated the 71h June 1969. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I, *CHAIRMAN*

A non-official to be nominated bv the Government of India.

II. *VICE-CHAIRMAN*

Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

ITT. *MEMBERS*

REPRESENTATIVES OF THE STATE & CENTRAL GOVERNMENTS

(A) *Slates*

One representative of each of the 'following State Governments in the Department of Agriculture/Horticulture to be nominated by the respective State :—

1. Assam
2. Himachal Pradesh
3. Jammu & Kashmir
4. Maharashtra
5. Me.gh&laya
6. Mysore
7. Punjab
8. Rajasthan,
9. Tamil Nadu
10. Uttar Pradesh

(B) ***Certtral Government***

1. One representative of the Planning Commission.
2. One representative of the Ministry of Commerce.
3. Agricultural Commis»ioner with the Gort. of India.
4. The Director. Institute of Horticulture Research, 255, Upper Palace Orchards, Bangalore (Mysore).
5. Joint Commissioner (Extension Training) or altera-tivelv Director, Farm Information Unit as representative of the Directorate of Extension.
6. Director. Central Pood Technological Research Institute. Mysore or his representative.

(C) *Growers' Representatives*

(i) Fourteen progressive Fruit *k* Vegetable Grower* representing the followinn .'flates :—

1. Andhra Pradesh.
2. Assam.
3. Gujarat.
4. Haryana.
5. Himachal Pradesh.
6. Jammu & Kashmir.
7. Maharashtra.
8. Meghalava.
9. Mvsore.
10. Purtiab.
11. Rajasthan.
12. Tamil Nadu.
13. Uttar Pradesh.
14. West Bengal,

(ii) Two growers to be nominated bv the Government of India.

(D) ***Representatives** of **Trade***

Three representatives of Trade.

(E) *Fruit A Vegetable Fracasi/if; Industry*

Three representatives of Fruit & Vegetable Processing (ndustrv.

(F) *Others*

(a) Three Members of Parliament.

(b) Such additional members as may, from time to time be nominated by the Government of India to give representation to interests not represented on the Council.

TV. *Member Secretary*

DIRECTOR (HORTICULTURE)
Ministry of Agriculture
(Department of Agriculture)
New Delhi.

V. *Observers*

(who would not be members of the Council but would invariably be invited to assist the Council in its deliberations.)

1. Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
2. Agricultural Marketing Adviser.
3. One representative; oj[the Railways.
4. One representative of N.A.F.E.D.
5. Economic & Statistical Advlaer Ministry of Agriculture (Deptt. of Agrii
6. One representative of State Trading Corporation of India Ltd.. New Delhi.
7. One representative of National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
8. Project Coordinator (Fruits).
9. Project Coordinator (Vegetables).
10. Project Coordinator (Floriculture).
11. Joint Commissioner (CO Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).
12. Deputy Secretary (Crops). Ministry of Agriculture (Deptt.t of Agriculture).

FUNCTIONS

2. The Council will be an adversory body and will have the following functions—

(i) To consider the development programme formulated by the Central/State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress;

(ii) to play a dynamic role in examining the problems of marketing, processing, storage transport and price policy of the commodities with a view to developing the industry and increasing export and also in advising the Government thereon;

(iii) to bring suitable co-ordination between research and development programmes by formulation of the programmes and in advising research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

(iv) to consider the needs of the export market and adjust the programmes of development suitably thereto; and

(v) to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time,

3. The Indian Horticulture Development Council will have powers to set up as necessary Standing Committees. Techni-

cal Committees and *ad-hoc* Committees to look into issues of special importance and to co-opt members, where necessary (such as representatives of Agricultural Universities and other special interests,)

4. Th- Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in major horticultural producing areas and will make recommendations to the Government of India.

5. The term of the Council will be upto 31-12-1976. Members of Parliament will however cease to be the members of the Council ;is soon as they cease to be members of Parliament. The term of the Council may be extended or curtailed by the Government of India if considered necessary.

ORDHR

ORDEIU:H ih;it a copy of the Resolution be communicated to all Stale Governments, Administration of Union Territories, Ministries of the Government of India, Planning Commission Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information. *

B. C. KAPUR, Additional Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 1st September 1973

No, F. 1-2/72-YSTC2).—The term of office of the following members of the Executive Committee of the All India Council of Sports appointed vide notification No. F. 1-2/72-YSI(2) dated the 2nd May. 1972 and 15th November, 1972 is hereby extended by one year with effect from the 1st May, 1973 :—

President

General P. P. Kumaramangalam.

Members

1. Shri G. Parthasarathl.
2. Shrimati Stephie Sequira,
3. Shri M. R. Krishna, M. p.
4. Shri R. T. Parthasarathy.
5. Dr. Kami Singh, M.P.
6. Shi-I G. K. Handoo.
7. Shri Balhir Singh.
8. Shri Zuifiquar Ali Khan, M.P.
9. Shri Vayalar Ravi, M.P.
10. Shii K. P. SlnRh Deo. M.P.

MEMBER SFCRETARY

11. Shri Kanti Chaudhuri.

KANTI CHAUDHURI, It. Secy.

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 1st September 1973

No. F. 15-B/72-L.2.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Institute of Indian Languages (Class 111 and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (i) These Rules may be called the Central Institute of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment (amendment) Rules. 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Institute of Indian Languages (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1970 for the entry in column 6 relating to the posts of Lower Division Clerks' and Stenographers' the following entry shall respectively be substituted, namely :—

•' 25 years "

S. S. BHATTACHARYA, Asstt, Educational Adviser

(DF.PARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-110001, the 7th September 1973

RESOLUTION

No. F.1-36/73-WW.—Smt. Neera Dogra, who was appointed as the Chairman, Central Social Welfare Board (Company) on Jst April, 1969. *vide* Government of India, Department of Social Welfare Resolution No. F1-16/69-SW3, dated the 22nd April. 1969, relinquished charge of the office of the Chairman on the afternoon on 31st Aupiust 1973. Smt. Dogra has been granted terminal leave for 120 days w.c.f. 1st September, 1973.

2. The Government of India have been pleased to appoint Smt. Sarojini Varadappan, hitherto a Member of the Central Social Welfare Board (Company) vide the above Resolution, as the Chairman, Central Social Welfare Board (Company). Smt. Varadappaii assumed charge of the office of the Chairman on the forenoon of 1st September, 1973 yiee Smt, Neera Dogra.

ORDER

OHDCRED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretarial.
5. Cabinet Secretariat,
6. Prime Minister's Secretariat,
7. Planning Commission.
8. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
9. Press Information Bureau.
10. Accountant General, Central Revenues. New Delhi.
11. Department of Company Affairs.
12. Registrar of Companies, New Delhi.
13. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
14. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory- Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of Tndia for general information.

RESOLUTION

No. F. 1-46/69-SW.3.—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F. J-46/69-SW.3 dated the 31st luly, 1973, extending the term of the office of the Board, namely, the Chairman, Members of the General Body and Members of the Executive Committee of the Central Social Welfare Board (Company), till and including the 31st August, 1973, the Government of India have been pleased to decide that subject to the provisions of Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the office of the Board, namely, the Chairman of the Board, Members of the General Body and the Executive Committee of the Board be extended for a further period of two months commencing from 1st September 1973, till and including the 31st October. 1973.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be. communicated lo :

1. All the members of the Central Social Welfare Board,
2. All the State Governments /Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of Government of India.
4. President's .Secretarial.
5. Cabinet Secretariat.

6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha/P.M's Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi,
10. Department of Companies Affairs.
11. Registrar of Companies. New Delhi.
12. Regional Director. Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi,
14. All Chairmen, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED aho that a copy of the Resolution be published n the Gazette of India for general information.

L. P. SUBRAMANIAN, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 10th September 1973

CORRIGENDUM

No. 7'MWC(1)I73-MA—In the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), Resolution No. 7-MWC(l)/73, dated 4th May, 1973, published in Part I Section 1 of tho Gazelle of India dated tho 2nd June, 1973, the following changes be made in S. Nos. 7 & 17 :—

For	Substitute
(7) The Chief Ports Officer and Dy. Secretary to tho Govt. of Maharashtra, Building and Communications • Deptt. Bombay.	The Chief Ports Officer, Maharashtra State Ports' Authority, III Floor, Indian Mercantile Chambers, Nicol Road, Bombay-400001.
(17) Shri Ghanshyane Das Poddar, M/s. Nathu Ram Narain (P) Ltd., Rustam Building 29, Church Gate Street, Fort, Bombay-1.	Ghanashyamdas S. Poddar, M/s. Nathu Ram Narain (P) Ltd., Rustam Building, 29, Church Gate Strocl, Fort, Bombay-1.

V. V. SUBRAHMANVAM, Deputy Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, tho 30th August 1973

RESOLUTION

No. ERBI/73/21/40.—In continuation of Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolutions No. ERBT/73/21/40 dated 5th May, 1973 & 26th July, 1973. the Government of India have nominated the following also as the Members ol the Standing Voluntary Help Committee :—

1. Shri H. M. Pandit
2. Shri R. B. jha

P. LAL, Joint Secy.
Railway Board

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

New Delhi-!, the \lth August 1973

No. U33P3-FFC— It is hereby notified that in. pursuance of Rule 24 of the Rules for the National Awaidsfcr J-iimt, piibJuUd ii Ministry of Information an d Broadcasting Resolution No. 1 /2/73-FFC, dated the *17*tli February, 1973, the Centra] Government r.a\ c, t ii the basis of the recommendations submitted by the Central Ccrr.rr,iltee ard i]-.e Regional Ccirmittces of National Awcid;. fcr Fi'mr-• 1972, docided to give awards to the fallowing filrcs/prcdi-ccrs/directOTs/ariistcs/technicians, namely :—

S. No.	Title of Film and Language	Name of the Award Winner	Award
1	2	3	4
		I. ALL INDIA AWARDS	
FEATURE FILMS :			
1.	*National best feature film award :*		
	"Swayamvaram" (Malayalam) , , . .	*Producer*	
		Shri KuJathoor Bhaskaran Nair, Producer and Secretary, Chitralekha Film Coop. Ltd., Sreekaryam P. O. Trivandrum-695017	President's cold medal and cash prizt' of Rs. 40,000 (Rupees forty thousand! only.
		Director	
		Shri Adoor Gopulakrishnan Chitralekha Film Coop. Ltd, Trlvandrura-10 (Kerala).	Cash prize of Rs. 10,000/ (Rupees len thousand) only *imd n* plaque.
2.	*Special award for the second best feature film*		
	"Calcutta-71" (Bengali)	*Producer*	
		Shri D. S. Sultania, D. S. Pictures Pvt. Ltd., 23A- Netaji Subhash Road, Calcutta-1.	Cash Prize of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only ana PI mcdi-i.

1	2	3	4
		Dirtctor	
		Shri Mrinal Sen, 4-E, Motilai Nehru Road, Calcutta-29.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque,
3.	*Special award for the bestfmtur film on national Integration.*		
	"Achhanum Bappayum" (Malayalam) . .	*Producer*	
		Shri C. C. Baby, M. S. Productions, 25-Circular Road United India Colony, Kodam-bakkam, Madras-24.	Cash prize of Rs. 30,000/- (Rupees thirty thousand) only and a medal.
		Director	
		Shri K. S. Sethumadhavan No. 4, Kanniah Naidu Street, Madras-600017.	Cash prize of Rs, 10,000/- Rupees ten thousand) only and a plaque.
4.	*Award for excellence In direction*		
	"Swayamvaram" (Malayalam) . . .	*Director*	
		Shr" Adoor Gopalakrishnan Chitralekha Film Coop. Ltd.; Trivandrum-10, (Kerala).	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
5.	*Award for excellence in cinematography (B & W)*		
	"Swayamvaram" (MalayakirT) . . .	*Cameraman*	
		Shri M. C. Ravivarama, 10-Madely Second Street, T. Nagar, Madras-17,	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
6.	*Award for excellence In cinematography, Colour.* "Maya Darpan" (Hindi).	*Cameraman*	
		ShriK, K. Mahajan, *B\]M* Co-op. Housing Society, C. S. Track Road, Bombay.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
7.	*Best Screenplay of the year award*		
	"Koshlsh" (Hindi).	*Screen-play Writer*	
		Shri Gulzar, Cozi Home Cooperative Housing Society Ltd., Flat No. 91- Pali Hill, Bandra, Bombay-50.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a plaque.
8.	*Best actor of the year award* "Koshish" (Hindi).	*Actor*	
		Shri Sanjeev Kumar, 18-Perfa Villa, Pali Hill, Bandra, Bombay-50.	A figurine (Bharat Award)
9.	*Best Actress of the award*		
	"Swayamvaram" (Malayalam) . . .	*Actress*	
		Smt. T. Sarada, tS-Mahaliaga Chctty Street, Madras-34.	A figurine (Urvashl Award)
1(),	*Best child acter of the year award*		
	"Ranur Pratham Bhag" (Bengali).	*Childactor*	
		Kumari Neera Malia, C/o Nabyondu Chatterjoe, 15-A, Chandranath Simla! Lane, Ca'cutta-2,	A plaque.

1	2	3	4
11.	*Best female play-back singer of the year award.*		
	"Parichay" (Hindi)	*Female singer* Kum. Lata Mangeshkar, Prabhu Kunj, Peddar Road, Bombay.	A plaque.
12.	*Best male play-back singer of the year award*		
	"Achhanum Bappayum" (Malayalam) . .	*Male singer* Shri Yesudos, No, 34, 3rd Street Abharamapuram, Madras-18.	A plaque.
13.	*Best Music director of the year* *An award to recognise the originality of score* "Zindgi Zindgi" (Hindi)	*Music director* Shri S. D. Burman, 'The Jet' Linking Road, Bandra. Bombay-50.	Cash prize of Rs. 5,000'- (Rupees five thousand) only and a plaque.
14.	*Lyriomiter of the best film song on National Integration.* "Achhanum Bappayum" (Malaylam)	*Lyric Writer* Shri Vayalar, Old Wood Lands, Madras 14.	A plaque.
11.	FILM AS COMMUNICATION		
15.	"Inner Eye" (English)	*Producer Director* Shri Satyajit Ray, 1/1 Bishop Lefroy Road Calcutta-20. Tola No. 448747	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
16,	*Best Social Documentation film*		
	"Transcendence" (English)	*Producer* Films Division, (Shri Pramod Pati) Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
		Director Shri K. Vishwanath, Films Divn., Qovt of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.	Cash prize of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only and a plaque.
17.	*Best Promotional Film (commercial)*		
	"Destination India" (English)	*Producer* M/s. Cinerad Communications Kashama Bhawan, 37-New Marine Lines, Bombay-20, Tele No, 2912/45.	A medal
		Director Sbri Zafar Hai, Cinerud Communications, Kshamer Bhawan, 37-New Marine Lines, Bombay-20. Tele. No. 291245.	A plaque.
18.	*Best Animation Film*		
	"You Said It" (English)	*Producer* M/s. Prasad Productions, C/o Films Division, 24-Peddar. Road, Bombay-26. Tele. No. 361461. Telegram : Mlnifilms.^	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and medal.
		Director ShriJRam Mohan M/s. Prasad Productions, *C/o* Films Divn., Bombay-26.	Cash prize of Rs. 2000-/ (Rupees two thousand) only and a plaque.

1	2	3	4
		REGIONAL **AWARDS**	
	VTURE FILMS		
19.	Maya Darpan (Hindi)	*Producer & Director* Shri Kumar Shahani 57- Worli Ssafage, Bombay-18.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
20.	Pinjra (Marathi)	*Producer & Director* Shrl V. Shantaram Shantashret; Dr. S. S. Rao Road, Parel, Bombay-12.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
21.	Gun Sundari No Ghar Sansar (Gujarati) . .	*Producers* Shri Ramesh H. Saraiyn Shri Jayant Malaviya Shri Chandulal Gandhi 151-CumbailaHill, Bombay-26 WB.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Govind Saraiya, 151-CumballaHill, Bombay-26 WB.	A Medal.
22.	Strir Patra (Bengali)	*Producer* Shri Dhrupadi, 7-Kailash Bose Street, Calcutta-6.	Cash prize of Rs, 5,000/- (Rupees five thousand) only,
		Director Shri Purnendu Shokhar Pattr§a. 139-Bangur Avenue, Block 'B', Calcutta-55.	A Medal.
23.	Opaja Sonar Mati (Assamese)	*Producer* M/s. Progati Cino Productions Ltd, P. O. Panigaon, North Lakhimpur (Assam)	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Late Brijen Barua, Latasil, UzanBaazar, Gauhati-1.	A Modal,
24.	Matamgi Manipur (Manipuri)	*Producer* Shri Karam Manmohan Singh, Moirangkhom Yumnan Leikai, P. O. Imphal, Manipur.	Cash prize of Rs, 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Deb Kumar Bose, 5, Dr. Satyananda Roy Road, Calcutta-29.	A Modal.
25.	Pattikkada Pattanaraa (Tamil)	*Producer & Director* Shri P. Madhavan. Arun Prasad Movies, 3, Elango Salai, Madras-18.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only and a medal.
26.	Pandanti Kapuram (Telugu)	*Producer* Shri G. Hanumantha Rao, 111, 1st Floor, Mount Road, Madras-6.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri Lakshmi Deepak No. 1. North Boag Road, T. Nagar, Madras-17.	A Medal.
27.	Sharapanjara (Kannada)	*Producer* Shri C. S. Rajah, M/s. Vardhinl Art Pictures 25, II Maio Road. C, I. T. Colony, Madras-4.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri S. R. Puttanna Kanagal, No. 25, II Main Road, C. I. T. Colony, Madraa-4.	A Medal,

1	2	3	4
28.	Pani Thccratha Veedu (Malayalam)	*Producer* Shri K. S. R. Moorthy, 4, Kanniah Naidu Street, Madras-600017.	Cash prize of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand) only.
		Director Shri K. S. Sethu Madhavan, 4,Kanniah Naidu Street, Madraa-600017.	A Medal.

29. *Dadasaheb Phalke Award :*

In pursuance or" sub rule IV of Rule 3 and Rule 16 of the Rules for National Awards, the Central Government have decided to confer the Dadnsaheb Phalko Award on Shri Pankaj Mullick for the yoar 1972 for outstanding contribution to the cause of Indian cinema. The award carries a cash prize of Rs. 11,000/-, a plaque and a shawl.

HARJ1T SINGH,
Under Secretary to the Government of India

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 4th September 1973

RESOLUTION

Subject :—Appointment of a Committee for Selection of Site for the Capital of Assam,

No. K-14011/2672-UDJI.—The term of the Committee for Selection of Site for the Capital of Assam appointed vide the Ministry of Works and Housing Resolution No. K-14011/26/72-UD11 dated the 15th March, 1973 is hereby extended by six months, with effect from 15th September, 1973 upto 14th March, 1974.

2. The composition and terms of reference of the Committee remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries of the Government of Tndia etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

New Delhi, the 10th September 1973

RESOLUTION

No. G-25017/1/72-LII.—WHEREAS in this Ministry's Resolution No. G-25O17/1/70-LII, dated the 20th January 1971, a Committee was constituted to investigate comprehensively the working of th$_c$ Land and Development Office.

AND WHEREAS its life was extended upto August 31, 1973, vide this Ministry's Resolution No, G-25017/1/72-LII, dated the 23rd February, 1973.

AND WHEREAS the committee would take some more time to finalise and to submit its report to the Government, it has been decided to extend the life of the Committee for a further period of 2 (two) months with effect from the 1st September, 1973.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. GOPALASWAMY. Jt. Secy-

PRINTED BY THF. MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973